



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276939
CG-DL-E-08102026-276939

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 6 अक्टूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026
प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों के निपटारे (सेटलमेंट) की प्रक्रिया तथा उसकी शर्तों आदि और उनसे संबंधित विषयों
का प्रावधान करने हेतु विनियम

सं. सेबी/एल.ए.डी-डी.ओ.पी/2026/318.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक (इनमें इन कानूनी प्रावधानों में हुए बदलाव या इनकी जगह बने कानून भी शामिल हैं) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय - I

प्रारंभिक

नाम और लागू होने की तारीख

(1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 है।

- (2) ये विनियम राजपत्र में इन विनियमों के अधिसूचित होने की तारीख से 30वें दिन के बाद वाले दिन लागू होंगे ।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में जिन शब्दों की परिभाषाएँ दी गई हैं, उनका अर्थ तब तक निम्नानुसार ही रहेगा जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो, और उनके जैसे शब्दों का अर्थ भी तदनुसार ही लगाया जाएगा,-

- (क) “अधिनियम” का अर्थ है - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) [1992 का 15];
- (ख) “कथित चूक” का अर्थ है - ऐसा कुछ करना या ऐसा कुछ न करना, जिसकी वजह से सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो जाए और इस प्रकार हुए उल्लंघन की वजह से निर्धारित कार्यवाही चलाई जाए;
- (ग) “बोर्ड” का अर्थ है - अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी);
- (घ) “दिन” का अर्थ है - अंग्रेजी के कैलेंडर दिन;
- (ङ) “उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति” का अर्थ है - वह समिति, जो बोर्ड द्वारा विनियम 23 के तहत बनाई गई हो;
- (च) “आंतरिक समिति” का अर्थ है - वह समिति, जो बोर्ड द्वारा विनियम 21 के तहत बनाई गई हो;
- (छ) “पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल” का अर्थ है - बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बनाया गया ऐसा पैनल, जिसमें दो या दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य हों;
- (ज) “रिपोर्ट” में शामिल हैं - जाँच-पड़ताल की रिपोर्ट, तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन / अन्वेषण) की रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट, जाँच रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट या फिर ऐसा कोई दूसरा दस्तावेज जिसमें बोर्ड द्वारा कोई निष्कर्ष निकाला गया हो;
- (झ) “सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों” (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) का अर्थ है - अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉजिटरी एक्ट, 1996) [1996 का 22] और कोई दूसरा संबंधित कानूनी प्रावधान (जहाँ तक वह बोर्ड के दायरे में आता

- हो) तथा उनके तहत बनाए गए या जारी किए गए संबंधित नियम, विनियम (रेग्यूलेशन), मास्टर परिपत्र, परिपत्र (सर्कुलर), साधारण या विशेष आदेश या दिशानिर्देश (गाइडलाइन्स);
- (ज) “निपटारे की रकम” का अर्थ है - वह रकम, जो निर्धारित कार्यवाही के निपटारे (सेटलमेंट) के लिए विनियम 10 के अनुसार तय की जाए;
- (ट) “निपटारे की शर्त” का अर्थ है - वे शर्तें, जिनका जिक्र विनियम 9 में किया गया है;
- (ठ) “निर्धारित कार्यवाही” का अर्थ है - यथास्थिति, अधिनियम की धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12(3) या धारा 15झ अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या धारा 23झ अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19 या धारा 19ज, या उनमें किए गए कानूनी संशोधनों आदि के तहत, सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, वह कार्यवाही जो बोर्ड द्वारा शुरू की जा सकती हो अथवा शुरू की गई हो और जो बोर्ड के समक्ष चल रही हो; या फिर ट्राइब्यूनल (न्यायाधिकरण) या उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन कोई अपील;
- (ड) “कार्यवाही किस चरण पर है” का अर्थ है कि निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को निर्धारित कार्यवाही किस चरण पर विचाराधीन है (जिसका जिक्र विनियम 12 में किया गया है);
- (ढ) “न्यायाधिकरण” (ट्राइब्यूनल) का अर्थ है - अधिनियम की धारा 15ट के तहत गठित प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट);
- (ण) “वर्ष” का अर्थ है - कैलेंडर या वित्तीय वर्ष, जो भी लागू हो ।
- (2) जब तक कि संदर्भ कुछ और न हो, तब तक एकवचन वाले शब्दों में बहुवचन वाले शब्द भी शामिल होंगे, और बहुवचन वाले शब्दों में एकवचन वाले शब्द भी शामिल होंगे ।
- (3) इन विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में उपयोग किए गए और अपरिभाषित, किंतु अधिनियम (एक्ट), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (डिपॉज़िटरीज़

एक्ट, 1996) या कंपनी अधिनियम, 2013, या उनके तहत बनाए गए या जारी किए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) या मास्टर परिपत्रों या परिपत्रों (सर्कुलर्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या मास्टर परिपत्रों या परिपत्रों में अथवा उनमें किए गए किसी कानूनी संशोधन आदि में उनके लिए दिए हुए हैं ।

अध्याय - II

सामान्य

निपटारे हेतु आवेदन

3. (1) कोई एंटिटी निर्धारित कार्यवाही (फिर चाहे कार्यवाही किसी भी चरण पर क्यों न हो) के निपटारे (सेटलमेंट) के प्रस्ताव हेतु आवेदन कर सकेगी, हालाँकि उसे इन विनियमों के प्रावधानों का पालन तो करना ही होगा ।
- (2) उप-विनियम (1) के अनुसार आवेदन बोर्ड के पास उसी तरह प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ-साथ वचन (अंडरटेकिंग), अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) और निपटारे की रकम तय करने का आधार भी प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा अनुसूची-I के क्रमशः भाग-क, भाग-ख और भाग-ग में बताया गया है ।
- (3) उप-विनियम (1) के अनुसार प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ किसी व्यक्ति (नैचुरल पर्सन) के मामले में पच्चीस हजार रुपये की और दूसरों के मामले में पैंतीस हजार रुपये की आवेदन फीस (जो लौटाई नहीं जाएगी) अदा करनी होगी, और फीस की यह रकम इस संबंध में निर्धारित किए गए पेमेंट गेटवे के जरिए अदा करनी होगी ।
- (4) किन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत, यदि किसी मामले (काँज़ ऑफ एक्शन) के संबंध में भारत में या भारत के बाहर चल रही या पूरी हो चुकी किसी कार्यवाही के दौरान आवेदक के खिलाफ कोई तथ्य साबित हो चुके हों या कबूल किए जा

चुके हों, और यदि उसी मामले से जुड़ी निर्धारित कार्यवाही का निपटारा (सेटलमेंट) किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा हो, तो ऐसे में यही माना जाएगा कि उस मामले से जुड़े तथ्यों को भी आवेदक ने कबूल कर लिया है।

- (5) आवेदक किसी एक मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) से संबंधित सभी निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे के लिए एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (6) जिस आवेदन में सही-सही जानकारी न दी गई हो और जो हर तरह से पूरा न हो या फिर जो इन विनियमों के प्रावधानों आदि के अनुसार खरा न उतरता हो, वह आवेदन आवेदक को लौटा दिया जाएगा और साथ ही आवेदक को आवेदन लौटाए जाने के कारण भी बताए जाएंगे।
- (7) जिस आवेदक का आवेदन उप-विनियम (6) के तहत लौटा दिया गया हो, वह आवेदक बोर्ड से सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, आवेदन को पूरी तरह भरकर और उसमें बदलाव आदि करके (ताकि वह इन विनियमों के प्रावधानों आदि के अनुसार खरा उतरे) प्रस्तुत कर सकेगा, ऐसा न किए जाने पर यही माना जाएगा कि आवेदन वापस ले लिया गया है।
- (8) जहाँ आवेदक एक ऐसी एंटीटी हो जो नैचुरल पर्सन न हो, वहाँ आवेदन और वचन (अंडरटेकिंग) तथा अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) उस व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसे विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया हो और जो उस एंटीटी के कारोबार का प्रभारी हो और जिस पर वह कारोबार चलाने की जिम्मेदारी हो; और फिर इस प्रकार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से वह एंटीटी बाध्य हो जाएगी।

परिसीमन (लिमिटेशन)

4. (1) बोर्ड के समक्ष चल रही किसी निर्धारित कार्यवाही के निपटारे के संबंध में प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, जो कारण बताओ सूचना (शॉ कॉज नोटिस) की तामील किए जाने की तारीख या कारण बताओ

सूचना के संबंध में बाद में भेजी गई सूचना की तामील किए जाने की तारीख (जो भी बाद की हो) से नब्बे दिनों के बाद प्रस्तुत किया जाए ।

- (2) उप-विनियम (1) के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे, जहाँ आवेदन तब प्रस्तुत किया जाए, जब कोई निर्धारित कार्यवाही न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो ।
- (3) इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार यदि कोई निर्धारित कार्यवाही चल रही हो, तो उस कार्यवाही के संबंध में निपटारे हेतु आवेदन इन विनियमों के लागू होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा, यदि ऐसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में निपटारे हेतु आवेदन या तो पहले प्रस्तुत न किया गया हो या फिर अगर पहले प्रस्तुत किया तो गया हो किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के तहत उसे नामंजूर कर दिया गया हो, लौटा दिया गया हो या फिर वापस ले लिया गया हो ।
- (4) उप-विनियम (3) में जिस आवेदन का जिक्र किया गया है, उस आवेदन के संबंध में निपटारे की रकम विनियम 10 के अनुसार तय की गई निपटारे की रकम से बीस प्रतिशत ज्यादा होगी ।

निपटारे की सूचना (नोटिस)

5. (1) कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) जारी करने से पहले, बोर्ड द्वारा अनुसूची-II के भाग-क में दिए हुए फॉर्मेट में निपटारे की सूचना (नोटिस) [जिसके अंतर्गत संभावित आरोपों और कानूनी कार्रवाइयों (इन्फोर्समेंट एक्शन / प्रवर्तन कार्रवाइयों) का संक्षिप्त रूप से उल्लेख होगा] जारी की जाएगी, ताकि एंटीटी को, ऐसी सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, अध्याय-II के अनुसार निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा सके ।

- (2) उप-विनियम (1) के प्रावधान न तो उस मामले में लागू होंगे जहाँ अंतरिम (इंटरिम) निदेश जारी किए जाने या मुकदमा चलाए जाने पर विचार किया जा रहा हो, और न ही उन मामलों में लागू होंगे जिनका जिक्र विनियम 27 में किया गया हो ।
- (3) उप-विनियम (1) में जिस सूचना (नोटिस) का जिक्र किया गया है, उसमें एंटीटी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई (इन्फोर्समेंट एक्शन) शुरू किए जाने का जिक्र है या संभावित तौर पर जिन आरोपों (चार्ज) का जिक्र है उनमें बोर्ड यदि चाहे तो बदलाव कर सकेगा, और उस सूचना (नोटिस) का कदापि यह अर्थ न निकाला जाए कि उस सूचना (नोटिस) में उल्लिखित संभावित आरोपों और कानूनी कार्रवाई के आधार पर निपटारा किए जाने की मांग करने का कोई अधिकार मिल गया है, या फिर संभावित आरोपों या कानूनी कार्रवाई में हुए बदलाव की वजह से किसी कानूनी कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार मिल गया है ।

अध्याय - III

निपटारे (सेटलमेंट) का दायरा

निपटारे (सेटलमेंट) संबंधी कार्यवाहियों का दायरा

6. (1) इन विनियमों में जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर निम्नलिखित निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा नहीं किया जाएगा, अर्थात्:-
- (i) जहाँ इन विनियमों के तहत उसी कथित चूक (डिफॉल्ट) के संबंध में निपटारे हेतु किया गया आवेदन पहले कभी नामंजूर किया जा चुका हो [विनियम 4(3) या विनियम 7(4) के दायरे में आने वाले आवेदन को छोड़कर];
 - (ii) जहाँ किसी मामले (कॉज ऑफ एक्शन) के संबंध में कोई जाँच-पड़ताल की जा रही हो, कोई तहकीकात की जा रही हो, कोई निरीक्षण या ऑडिट किया जा रहा हो [गोपनीयता वाले निपटारे के आवेदन को छोड़कर];

- (iii) जहाँ आवेदक एक इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला / विलफुल डिफॉल्टर) हो, उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) हो या एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी हो ।

स्पष्टीकरण: (क) 'इरादतन चूककर्ता' या 'उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)' का अर्थ है - वह व्यक्ति या वह इश्युअर, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'इरादतन चूककर्ताओं' या 'उधार लेकर धोखाधड़ी करने वालों (कपटी उधारकर्ताओं)' के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बैंक या वित्तीय संस्था [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(39) में यथा परिभाषित] या उनके कनसॉर्टियम द्वारा, 'इरादतन चूककर्ता' या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता)' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो ।

(ख) भगोड़ा आर्थिक अपराधी का वही अर्थ होगा, जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 [द फ्यूजिटिव इकनॉमिक ऑफेन्डर्स एक्ट, 2018] की धारा 2(1)(च) में दिया हुआ है ।

- (2) हालाँकि विनियम 18(2) के प्रावधानों का तो पालन किया ही जाएगा, फिर भी तब निर्धारित कार्यवाही का निपटारा नहीं किया जा सकेगा, जब कथित चूक,-

- (क) का असर व्यापक रूप से बाजार पर पड़ा हो, या
- (ख) की वजह से बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा हो, या
- (ग) की वजह से बाजार की निष्पक्षता (सत्यनिष्ठा) पर आँच आई हो ।

- (3) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात का अर्थ कदापि यह न लगाया जाए कि उससे या तो निवेशकों के हित में या फिर शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) के विकास के और उसे विनियमित (रेग्युलेट) करने के उद्देश्य से, किसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में किए गए किसी आवेदन (फिर भले ही उसकी जाँच किसी आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा की गई हो या न की गई हो) को मंजूर या नामंजूर करने के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के अधिकार को सीमित किया गया है ।

आवेदन नामंजूर किया जाना और उसे वापस लिया जाना

7. (1) किसी आवेदन को निम्नलिखित आधारों पर भी नामंजूर किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) जहाँ आवेदक न तो बोर्ड द्वारा जारी की गई सूचनाएँ ले और न ही उनका उत्तर दे;
- (ख) जहाँ आवेदक बोर्ड द्वारा मांगी गई जानकारी, दस्तावेज, निपटारे की संशोधित शर्तें आदि या तो प्रस्तुत न करे या फिर प्रस्तुत करने में देरी करे;
- (ग) जहाँ आवेदक (जिसे हाजिर होने को कहा गया हो), एक से अधिक बार आंतरिक समिति के समक्ष हाजिर न हो;
- (घ) जहाँ आवेदक इन विनियमों के तहत प्रस्तुत किए गए वचन (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) का, किसी भी तरह से, या तो उल्लंघन करे या फिर उनका पालन न करे;
- (ङ) जहाँ आवेदक इन विनियमों में बताई गई अवधि के भीतर निपटारे की रकम जमा न कराए;
- (च) जहाँ आवेदक निपटारे के संबंध में लगाई गई कोई शर्त निर्धारित समय के भीतर पूरी करने में असफल रहे या फिर निपटारे के संबंध में लगाई गई ऐसी किसी शर्त का पालन न करे जो कोई सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित हो ।

(2) यदि उप-विनियम (1) के तहत किसी आवेदन को नामंजूर कर दिया जाए, तो उसकी सूचना आवेदक को दे दी जाएगी ।

(3) निपटारे हेतु किए गए आवेदन को मंजूर या नामंजूर किए जाने के संबंध में पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा लिए गए निर्णय की सूचना दिए जाने से पहले किसी भी समय आवेदन वापस लिया जा सकेगा ।

(4) यदि निपटारे हेतु किया गया आवेदन एक बार नामंजूर हो जाए, तो ऐसे में वह आवेदन केवल कार्यवाही के अगले चरण [जिसकी परिभाषा विनियम 2(1)(ड) में दी गई है] पर तभी प्रस्तुत किया जाएगा, जब वह कारण लागू न रहे जिसके आधार पर आवेदन को पहले नामंजूर किया गया था, और इस प्रकार फिर से

आवेदन प्रस्तुत करते समय निपटारे की रकम के तौर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी ।

- (5) यदि निपटारे हेतु किया गया आवेदन उप-विनियम (3) के तहत या विनियम 3(7) के तहत एक बार वापस ले लिया जाए, तो उसे कार्यवाही के उसी चरण पर या फिर उसके बाद वाले चरण पर प्रस्तुत किया जा सकेगा, और इस प्रकार फिर से आवेदन प्रस्तुत करते समय निपटारे की रकम के तौर पर बीस प्रतिशत अतिरिक्त रकम अदा करनी होगी ।
- (6) आवेदन को नामंजूर किए जाने या वापस लिए जाने की वजह से, प्रस्तुत किए वचनों (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचनों (वेवर) [जो लिमिटेशन या लैचिज़ के संबंध में दिए गए हों] और अनुसूची-I के भाग-ख के अनुसार प्रस्तुत किए गए अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचनों (वेवर) पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वे आगे भी मान्य रहेंगे, और यदि बोर्ड या आवेदक चाहे तो ऐसी कार्यवाही शुरू कर सकेगा या जारी रख सकेगा जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त हो ।

प्रस्तुत किए गए आवेदन का निर्धारित कार्यवाही पर क्या असर पड़ेगा

8. (1) यदि किसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में निपटारे हेतु आवेदन 'कारण बताओ सूचना' (शो कॉज नोटिस) जारी होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे में वह कार्यवाही चलती रहेगी, और अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक निपटारे हेतु किए गए आवेदन पर की जा रही कार्यवाही पूरी न हो जाए या फिर उसे वापस न ले लिया जाए ।
- (2) यदि किसी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में निपटारे हेतु आवेदन 'कारण बताओ सूचना' (शो कॉज नोटिस) जारी होने से पहले प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे में 'कारण बताओ सूचना' तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक निपटारे हेतु किए गए आवेदन पर या तो कार्यवाही पूरी न हो जाए या फिर उसे वापस न ले लिया जाए ।

- (3) निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भी बोर्ड की उस शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके तहत बोर्ड निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए और और शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) की निष्पक्षता को कायम रखने के लिए अंतरिम (इंटरिम) सिविल तथा प्रशासनिक निदेश जारी करता है ।
- (4) जहाँ निपटारे हेतु आवेदन केवल कुछ एंटिटियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाए, वहाँ वह आवेदन प्रस्तुत किए जाने की वजह से, उन दूसरी एंटिटियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही (इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग) शुरू किए जाने, जारी रखने तथा उन्हें निपटाए जाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिन्होंने निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत न किया हो, और ऐसी कार्यवाही में निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाली एंटिटी के खिलाफ की गई किन्हीं प्रतिकूल टिप्पणियों का उस एंटिटी पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, यह तो उस एंटिटी द्वारा निपटारे हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन के परिणाम पर निर्भर करेगा ।

अध्याय - IV

निपटारे की शर्तें आदि

निपटारे की शर्तें आदि

9. (1) निपटारे की शर्तों आदि में निम्नलिखित (जो भी लागू हो) का जिक्र होगा, अर्थात्:-
- (i) विनियम 10 के अनुसार निपटारे की रकम का;
 - (ii) गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की रकम लौटाए जाने (डिस्गॉर्ज करने) का, जैसा कि रिपोर्ट या 'कारण बताओ सूचना' में आरोप लगाया गया हो या जैसा आदेश में कहा गया हो; और
 - (iii) जो कार्यवाही केवल जुर्माना लगाने के लिए ही की जा रही हो उसे छोड़कर दूसरी कार्यवाही के मामले में, विनियम 17 के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि के पालन से संबंधित किसी शर्त आदि का।

- (2) जिस मामले में देनदारियाँ सबकी मिलाकर और अलग-अलग बनती हों, उस मामले में गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की रकम, ब्याज सहित लौटाने (डिस्गॉर्ज करने) की जिम्मेदारी उन सभी आवेदकों की होगी जो मामले का निपटारा चाहते हों, फिर भले ही ऐसा वे मिलकर करें या अलग-अलग ।
- (3) भले ही किसी भी तरह की निर्धारित कार्यवाही क्यों न चल रही हो, दी जाने वाली हर जरूरी जानकारी (डिस्कलोज़र) निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा होगी ।
- (4) निपटारे की शर्त आदि उस व्यक्ति पर लागू होगी, जिसने निर्धारित कार्यवाही के निपटारे हेतु आवेदन किया हो ।
- (5) निपटारे की रकम भारत की संचित निधि (कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) में जमा कराई जाएगी ।
- (6) आवेदन फीस [जिसका जिक्र विनियम 3(3) में किया गया है] और कानूनी खर्चों (यदि कोई हों) की रकम, जो निपटारे की रकम का हिस्सा हो, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की साधारण निधि (जनरल फंड) [अधिनियम की धारा 14 या उसके किसी कानूनी संशोधन आदि के तहत बनाई गई] में जमा कराई जाएगी ।
स्पष्टीकरण.- कानूनी खर्चों में ऐसे अनुमानित खर्च (जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए) भी शामिल होंगे, जो न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या किसी फोरम से आदेश प्राप्त करने के संबंध में किए जाएँ, और साथ ही इनमें वे दूसरे खर्च भी शामिल होंगे जो ऐसे आवेदन के संबंध में न्यायाधिकरण या किसी फोरम के समक्ष चल रही किसी दूसरी कार्यवाही में बोर्ड द्वारा किए जाएँ ।
- (7) निपटारे की शर्तों आदि के अनुसार कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान की जो रकम ब्याज सहित लौटाई (डिस्गॉर्ज की) जाएगी, वह निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि [जिसका जिक्र अधिनियम की धारा 11(5) या उसके किसी कानूनी संशोधनों आदि में है] में जमा कराई जाएगी ।

निपटारे की रकम

10. (1) निपटारे की रकम नीचे बताए गए फॉर्मूले के हिसाब से निकाली जाएगी:

निपटारे की रकम (एस.ए.) = बी.ए. × (एस + आर + जी + ए - एम)

जहाँ,

‘बी.ए.’ = विनियम 11 के अनुसार आधार राशि (बेस अमाउंट);

‘एस’ = विनियम 12 के अनुसार कार्यवाही का चरण;

‘आर’ = विनियम 13 के अनुसार रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर (कार्रवाई के लिहाज से);

‘जी’ = विनियम 14 के अनुसार ग्रेविटी फैक्टर (मामले की गंभीरता के लिहाज से);

‘ए’ = विनियम 15 के अनुसार अग्रेवेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता बढ़ाने वाले पहलू);

‘एम’ = विनियम 16 के अनुसार मिटिगेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता घटाने वाले पहलू) ।

(2) यदि (एस+आर+जी+ए-एम) का कुल मिलाकर योग एक से कम आए, तो उसे एक माना जाएगा ।

(3) निपटारे की रकम, यथास्थिति, पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक के मामले में तीन लाख रुपये से कम नहीं होगी या दूसरों के मामले में सात लाख रुपये से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण. - ‘पहली बार आवेदन करने वाला आवेदक’ वह व्यक्ति होता है, जिसके खिलाफ न्यायनिर्णायक अधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा या बोर्ड द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया गया हो, और जिसे मौजूदा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक बोर्ड की ओर से कभी भी निपटारे का आदेश न मिला हो ।

- (4) हर आवेदक के मामले में निपटारे की रकम अलग-अलग निकाली जाएगी, और जो या तो अलग-अलग चुकाई जा सकेगी या फिर एक साथ मिलकर चुकाई जा सकेगी ।
- (5) निपटारे की रकम में, जहाँ कहीं भी लागू हो, बोर्ड द्वारा उठाए गए कानूनी खर्च की रकम भी शामिल की जाएगी ।
- (6) उन मामलों में निपटारे की रकम से बीस प्रतिशत अधिक रकम अदा करनी होगी, जहाँ निपटारा (सेटलमेंट) अधिनियम की धारा 12(3) के तहत चल रही किसी निर्धारित कार्यवाही के साथ-साथ उसी मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) हेतु चल रही किसी दूसरी निर्धारित कार्यवाही के संबंध में किया जाना हो ।
- (7) जिन मामलों में किसी खास तरह की कथित चूक की वजह से या फिर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की वजह से, विनियम 10 से विनियम 16 के प्रावधानों के अनुसार निपटारे की रकम निकाली न जा पा रही हो, उन मामलों में पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे की रकम (जो भी वह ठीक समझे) तय कर सकेगा ।

आधार राशि (बी.ए.)

11. (1) आधार राशि जुर्माने (पेनल्टी) के तौर पर अदा की जाने वाली वह न्यूनतम रकम होगी, जिसका जिक्र अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में है । हालाँकि आवेदक किस तरह का है उस हिसाब से मल्टीप्लायर से आधार राशि को गुणा कर दिया जाएगा, जैसा नीचे सारणी में बताया गया है:

किस तरह का आवेदक है	मल्टीप्लायर
स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर)	2
कार्यकारी निदेशक से भिन्न निदेशक (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर)	3

कार्यकारी निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) या प्रमोटर (संप्रवर्तक) जिसके हाथों में नियंत्रण हो या प्रबंध मंडल के मुख्य व्यक्ति (की-मैनेजरियल पर्सनल)	3.5
दूसरे व्यक्ति (नैचुरल पर्सन)	2.5
बॉडी कारपोरेट, इंटरमीडियरीज़ (मध्यवर्ती), पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (जो एंटिटी अलग-अलग जगहों से पैसे जुटाकर निवेश करती हैं) और दूसरे	4
एम.आई.आई. (बाजार की बुनियादी संस्थाएँ)	5.5

(2) जो मामला सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कई उल्लंघनों से जुड़ा हुआ हो, उस मामले में आधार राशि (बेस अमाउंट) निकालते समय निम्नलिखित पहलुओं पर गौर किया जाएगा:

- (i) हर कथित चूक के लिए आधार राशि अलग-अलग निकाली जाएगी और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाएगा;
- (ii) जहाँ केवल एक ही कथित चूक की वजह से सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कई उल्लंघन हो गए हों, और जिसके चलते अलग-अलग कई आधार राशि बन रही हो, तो ऐसे में उसी आधार राशि पर विचार किया जाएगा जो सबसे ज्यादा हो;
- (iii) जहाँ अलग-अलग कथित चूकों की वजह से अलग-अलग आधार राशि निकल रही हो [खंड (i) के हिसाब से], वहाँ ऐसी हर चूक के लिए निकाली गई आधार राशि को एकसाथ जोड़कर आधार राशि निकाली जाएगी;
- (iv) यदि रिपोर्ट में या कारण बताओ सूचना में या फिर आदेश में किसी व्यक्ति के बारे में यह जिक्र हो कि उसी ने साजिश रची थी और वही मास्टरमाइंड या की-ऑपरेटर था, तो ऐसे में उस व्यक्ति के मामले में उपरोक्तानुसार निकाली गई आधार राशि दोगुनी कर दी जाएगी;
- (v) यदि रिपोर्ट या कारण बताओ सूचना या आदेश में यह जिक्र हो कि स्वतंत्र निदेशक (इंडिपेंडेंट डायरेक्टर) ने कथित तौर पर धोखाधड़ी का फायदा उठाया है या फिर जिसकी कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी में सक्रिय भागीदारी रही है या फिर आदेश में भी ऐसा ही कुछ उल्लेख हो, तो ऐसे में स्वतंत्र

निदेशक के मामले में भी उतनी ही आधार राशि तय की जाएगी, जितनी कार्यकारी निदेशक के मामले में तय की जाए ।

- (3) जिस चूक के निपटारे की मांग की जा रही हो, उस चूक हेतु आधार राशि जुर्माने की उस रकम से कम नहीं होगी, जितनी रकम का जुर्माना (पेनल्टी) पहले ही लगाया जा चुका हो ।
- (4) रिपोर्ट या कारण बताओ सूचना या आदेश में जिस कथित चूक का जिक्र किया गया हो, उसी के हिसाब से आधार राशि निकाली जाएगी ।
- (5) जहाँ आदेश को न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई हो, वहाँ, यथास्थिति, न्यायाधिकरण या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कथित आदेश में जो आरोप मान्य ठहराए गए हों उसी के हिसाब से आधार राशि निकाली जाएगी ।
- (6) जहाँ बोर्ड ने न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राहत के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की हो, वहाँ ऐसी हर चूक के लिए आधार राशि की पचास प्रतिशत रकम भी गिनी जाएगी, जिस-जिस चूक के बारे में न्यायाधिकरण ने यह माना हो कि चूक नहीं हुई है ।
- (7) किसी निर्धारित कार्यवाही में, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक ही चूक या एक जैसी चूक एक से ज्यादा बार की गई हो, तो ऐसे में हर बार की गई ऐसी चूक के लिए आधार राशि निकाली जाएगी ।
- (8) आधार राशि निकालने के लिए निम्नलिखित को एक ही चूक माना जाएगा:-
क. किसी एक यू.पी.एस.आई. (अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी) के आधार पर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करना, फिर भले ही आवेदक ने उस यू.पी.एस.आई. के संबंध में यू.पी.एस.आई. की एक अवधि में कितनी भी बार ट्रेड क्यों न किए हों;

- ख. किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक यूपी.एस.आई. के संबंध में यूपी.एस.आई. की एक अवधि में कई व्यक्तियों को यूपी.एस.आई. देना;
- ग. किसी एक खास बड़े क्लाइंट द्वारा किए गए ट्रेड की फ्रंट रनिंग, फिर भले ही तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन / अन्वेषण) की अवधि के दौरान आवेदक ने कितनी भी बार फ्रंट रनिंग करके ट्रेड क्यों न किए हों;
- घ. सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यथास्थिति, एक कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष में दिए गए विवरण (स्टेटमेंट) में कितनी भी बार झूठी जानकारी, गलत जानकारी, गुमराह करने के इरादे से जानकारी क्यों न दी गई हो या फिर कितनी भी बार जरूरी जानकारी दी ही न गई हो;
- ङ. किसी एक स्ट्रिप के भाव या उसके वॉल्यूम (मात्रा) में हेराफेरी करके कितने भी ऑर्डर क्यों न डाले गए हों या फिर कितने भी ट्रेड क्यों न किए गए हों;
- च. किसी एक खास यूपीएसआई के संबंध में स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस में जानकारी दर्ज न करना, फिर चाहे उन व्यक्तियों की संख्या कितनी भी क्यों न हो जिनकी जानकारी दर्ज न की गई हो;
- छ. किसी एक वर्ष में उसी टारगेट कंपनी (लक्षित कंपनी) के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन, 2011] के तहत ओपन ऑफर (खुला प्रस्ताव) लाने का दायित्व पूरा न किया गया हो;
- ज. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 25 और/या धारा 42 के तहत समझे गए (डीमंड) पब्लिक इश्यू से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी एक वित्तीय वर्ष में कितने भी ऑफर (प्रस्ताव) क्यों न लाए गए हों;
- झ. ऐसी कोई दूसरी चूकें जिनके बारे में, किसी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र, पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की यह राय हो कि उन्हें एक ही चूक माना जाए ।
- (9) यदि किसी मामले विशेष में, पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की यह राय हो कि की गई चूकों की संख्या ज्यादा या कम है, तो ऐसे में वह पैनल की गई चूकों की संख्या को घटाकर या बढ़ाकर उतनी कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे ।

स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर (कार्यवाही के चरण का पहलू) [एस]

12. (1) निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार कार्यवाही जिस भी चरण पर हो, उसी के आधार पर एक मूल्य (वैल्यू) तय होगा, जिसे स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर (एस) कहा जाएगा ।

(2) स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर नीचे दी गई सारणी के अनुसार तय किया जाएगा, अर्थात्:-

निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर (कार्यवाही किस चरण पर है) [एस]			'एस' का मूल्य (वैल्यू)
क.	यदि आवेदन अपनी इच्छा से प्रस्तुत किया	यदि स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया हो	0.20
ख.	गया हो	यदि कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) जारी होने से पहले प्रस्तुत किया गया हो	0.40
ग.	यदि कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) जारी होने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया हो		0.60
घ.	यदि अधिनियम की धारा 12(3) के तहत जाँच कार्यवाही के मामले में नामित सदस्य (ड्रेसिग्नेटेड मेंबर) के समक्ष मामला विचाराधीन हो; यदि अधिनियम की धारा 15झ(3), या प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23झ(3), या निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा		0.80

	19ज(3) के तहत बोर्ड के समक्ष मामला विचाराधीन हो	
ड.	यदि मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो	1.00
च.	यदि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो	1.50

- (3) जहाँ एक ही मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) की वजह से कई कानूनी कार्यवाहियों के मामले में निपटारे हेतु आवेदन किया गया जाए, तो ऐसे में जो कानूनी कार्यवाही सबसे बाद वाले चरण पर हो उसके संबंध में निकाले गए मूल्य को स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग फैक्टर के तौर पर लिया जाएगा ।

रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर (कार्रवाई के लिहाज से) [आर]

13. (1) आवेदक के खिलाफ जारी की गई प्रशासनिक चेतावनी या आदेश के संबंध में जो मूल्य (वैल्यू) निर्धारित किए गए हों, उन सभी मूल्यों का जोड़ रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर होगा ।

- (2) रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर नीचे दी गई सारणी के अनुसार तय किया जाएगा, अर्थात्:-

आवेदक को जारी किए गए आदेश और निदेश	हर आदेश के लिए 'आर' का मूल्य (वैल्यू)
यदि पहले कोई आदेश जारी न किया गया हो	0
यदि प्रशासनिक चेतावनी जारी की गई हो	हर प्रशासनिक चेतावनी के लिए 0.10

यदि निपटारे का आदेश जारी किया गया हो	निपटारे के हर आदेश के लिए 0.20
यदि आवेदक के खिलाफ कोई आदेश जारी किया गया हो [न्यायनिर्णयन (अड्जुडिकेशन) कार्यवाही, निदेश जारी करने संबंधी कार्यवाही और अनुशासनिक कार्यवाही के तहत]	हर आदेश के लिए 0.30

- (3) जिन आदेशों पर न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई हो, उन आदेशों के मामले में भी रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर का मूल्य ऊपर दी गई सारणी के अनुसार ही निकाला जाएगा ।

गैविटी फैक्टर (मामले की गंभीरता के लिहाज से) [जी]

14. (1) निपटारे हेतु किए गए जिन आवेदनों के मामले में सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन को कबूल न किया गया हो, उन सभी आवेदनों के मामले में, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हेतु, "0.25" का गैविटी फैक्टर लगाया जाएगा ।
- (2) निपटारे के सभी आवेदनों के मामले में, जहाँ कहीं भी लागू हो, निम्नानुसार गैविटी फैक्टर्स अलग से लगाए जाएँगे, अर्थात्: -

किस तरह के उल्लंघन किया गया		मूल रूप से कितना मूल्य लगाया जाएगा (बेस वैल्यू)
1.	यदि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स)]	0.25

	रेग्यूलेशन, 2011] के तहत ओपन ऑफर (खुला प्रस्ताव) न लाया गया हो	
2.	यदि ऑफर डॉक्यूमेंट (प्रस्ताव दस्तावेजों) से संबंधित उल्लंघन किए गए हों, किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन, 2003] के उल्लंघन से संबंधित आरोप न लगे हों	0.50
3.	यदि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन, 2015] के विनियम 3 और 4 के उल्लंघन किए गए हों	0.50
4.	यदि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन, 2003] के उल्लंघन किए गए हों	1.50

अग्रेवेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता बढ़ाने वाले पहलू) [ए]

15. निपटारे की रकम निकालते समय, नीचे बताए गए अग्रेवेटिंग फैक्टर्स (जहाँ कहीं भी लागू हों) में से ज्यादा से ज्यादा पाँच अग्रेवेटिंग फैक्टर्स के मामले में बेस वैल्यू (प्रत्येक का बेस वैल्यू '0.20' लिया जाएगा) जोड़े जाएँगे:

- (i) किसी जाँच-पड़ताल, तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन / अन्वेषण), निरीक्षण, ऑडिट या किसी सिविल और प्रशासनिक कार्यवाही (जिसमें निपटारे संबंधी कार्यवाही भी शामिल है) में खलल डालने या उसके मामले में लंबे समय तक टालमटोल करने की कोशिश की गई हो;

- (ii) झूठे बयान या जानकारी दी गई हो अथवा गुमराह करने के इरादे से झूठे बयान या जानकारी दी गई हो, या फिर वह जानकारी न दी गई हो जो आवेदक को देनी थी;
- (iii) लंबे समय तक (यानि कि कम से कम तीस दिनों तक) गलत कार्य किया गया हो;
- (iv) ग्राहकों को भारी नुकसान पहुँचा हो, जो कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो;
- (v) कानूनी प्रावधानों के तहत पहले जो कहा गया हो और पहले जो चेतावनियाँ दी गई हों, उन पर आवेदक ने ध्यान न दिया हो;
- (vi) पहले से सोच-समझकर या साजिश रचकर गलत कार्य किए जाने का सबूत हो; स्पष्टीकरण: यदि अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में चूक की गई हो, संपत्तियाँ आदि (असेट) या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) छिपाए गए हों, या ये दोनों ही किए गए हों, और ऐसा फर्जी एंट्रिटियों, मुखौटा कंपनियों (कारपोरेट शेल्स) या ऑफशोर फाइनेंशियल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके किया गया हो, तो इसका आम तौर पर यही अर्थ निकाला जाएगा कि सोच-समझकर साजिश रची गई है;
- (vii) लिस्टिड इंटरमीडियरी (सूचीबद्ध मध्यवर्ती) या एम.आई.आई. (सिक्यूरिटीज़ मार्केट की बुनियादी संस्था) को काफी खतरे में डाला गया हो ।
स्पष्टीकरण. - लिस्टिड इंटरमीडियरी (सूचीबद्ध मध्यवर्ती) या एम.आई.आई. (सिक्यूरिटीज़ मार्केट की बुनियादी संस्था) को काफी खतरे में डाला गया है, यह तभी माना जाएगा, यदि कथित चूक की वजह से:
क. वह दिवालिया हो गई हो या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016) के तहत आवेदन मंजूर कर लिया गया हो;
ख. वह, माँग किए जाने पर भी, जनता का पैसा (डिपॉज़िट) या निवेश की गई पूरी रकम लौटाने (का रिफंड करने) में असमर्थ हो गई हो; या
ग. उसके असेट्स इतने कम हो गए हों कि कामकाज जारी रखने के लिए किसी दूसरी संस्था में मजबूरन उसका विलय (उसे मर्ज) करना पड़ रहा हो;
- (viii) एम.आई.आई. द्वारा कुछ न किए जाने या कुछ किए जाने की वजह से उस एम.आई.आई. या किसी दूसरी एम.आई.आई. का कामकाज काफी खतरे में पड़ गया हो ।

स्पष्टीकरण: एम.आई.आई के कामकाज को खतरे में पड़ा तभी माना जाएगा, जब वह अपने कामकाज (जो करने के लिए वह बनी हो), एक घंटा प्रंदह मिनट से ज्यादा समय के लिए, करने में असमर्थ हो जाए;

- (ix) जिस कंपनी के शेयरों आदि में आम लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उसके (पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के) शेयरों आदि (प्रतिभूतियों / सिक्यूरिटीज़) की लिक्विडिटी बहुत ही कम हो गई हो, यानि कि या तो उसे डिलिस्ट (असूचीबद्ध) कर दिया गया हो या फिर उस कंपनी के शेयरों आदि में ट्रेडिंग एक पूरे ट्रेडिंग के दिन से ज्यादा समय के लिए रोक दी गई हो;
- (x) आवेदक ने भरोसा तोड़कर अपने ओहदे का इस तरह से गलत इस्तेमाल किया हो या फिर जिस क्षेत्र में उसे खास महारत हासिल हो उसका उसने इस तरह से गलत इस्तेमाल किया हो कि उसकी वजह से चूक करने में या फिर चूक को छिपाने में उसे कामयाबी मिल पाई ।

स्पष्टीकरण 1.- यह पहलू तभी लागू होगा, जब आवेदक के पास ऐसा कोई ओहदा हो और उसने उसका गलत इस्तेमाल किया हो ।

स्पष्टीकरण 2.- यह पहलू तभी लागू होगा, जब आवेदक उस ओहदे पर रहते हुए, नियमित रूप से शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) या प्रोडक्ट्स (उत्पादों) को जारी (इश्यू) आदि करने, उन्हें खरीदने, बेचने या उनमें ट्रेडिंग किए जाने से संबंधित कार्यों से जुड़ा रहा हो या फिर उसने उन कार्यों में एक पेशेवर की हैसियत से सहयोग किया हो, और उस पद का उसने इस तरह से गलत इस्तेमाल करके चूक की हो या उस चूक को छिपाने का काम किया हो । यह प्रावधान संस्था में कार्य कर रहे लिपिक श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू नहीं हैं; क्योंकि इस तरह के ओहदे वाले लोगों की आम तौर पर कोई खास महारत नहीं होती ।

स्पष्टीकरण 3.- 'खास महारत' का अर्थ है - ऐसी महारत जो आम लोगों के पास नहीं होती और जिसके लिए किसी पेशे से जुड़ी शिक्षा हासिल करना, प्रशिक्षण लेना या लाइसेंस लेना [जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, ऑडिटर (लेखापरीक्षक), अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर), आदि बनने के लिए] जरूरी होता है ।

स्पष्टीकरण 4.- यह पहलू उन मामलों में भी लागू है, जहाँ आवेदक ने यह जताया हो कि वह किसी ऐसे ओहदे पर रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही हो;

- (xi) आवेदक की-ऑपरेटर हो, फिर भले ही उसने खुद ट्रेड किया हो या न किया हो।

स्पष्टीकरण 1.- कोई व्यक्ति की ऑपरेटर-तभी माना जाएगा, जब किसी गैर-कानूनी गतिविधि की साजिश उसी ने रची हो या उसका कर्ता-धर्ता वही हो या फिर चूक (डिफॉल्ट) का सबसे ज्यादा फायदा उसे ही हुआ हो ।

स्पष्टीकरण 2.- यदि कोई व्यक्ति महज एक मैनेजर (प्रबंधक) या सुपरवाइज़र (पर्यवेक्षक) हो किंतु न तो उसने गैर-कानूनी गतिविधि की साजिश रची हो, न ही वह उसका कर्ता-धर्ता हो और न ही सबसे ज्यादा फायदा उसे हुआ हो), तो ऐसे में उसे की ऑपरेटर नहीं-माना जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3.- पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल इन बातों पर भी गौर कर सकेगा कि मुनाफों में कितनी हिस्सेदारी रही, साजिश में साथ देने वालों को शामिल कैसे किया गया, दूसरों पर कितना नियंत्रण और प्राधिकार रहा;

- (xii) धोखाधड़ी करके जारी किए गए या फर्जी शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) अथवा जरूरी मंजूरीयाँ लिए बिना जारी किए गए शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) का इस्तेमाल करके प्रबंध-मंडल का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया गया हो;
- (xiii) आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य न किया गया हो;
- (xiv) जिस मामले में उल्लंघन हुआ हो, उस मामले से संबंधित आवेदक ने जो निर्णय लिए, वे तो वह ले ही नहीं सकता था;
- (xv) उल्लंघन करने की वजह से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आवेदक को मुनाफा हुआ हो;
- (xvi) एक ही काउंट में कथित चूक बार-बार की गई;
- (xvii) बॉडी कारपोरेट या जिम्मेदार व्यक्ति को यह पता हो कि उनके कुछ करने या न करने की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि उससे सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होने का जोखिम हो सकता है, और वह उस जोखिम को कम करने में पूरी तरह से असफल रहा हो।
- स्पष्टीकरण. - यह तभी माना जाएगा कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जब -

- क. कर्तव्य निभाने के लिए सक्षम अधिकारियों को नियुक्त न किया गया हो
[जिनमें अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) को नियुक्त न करना भी शामिल है];
- ख. समूची व्यवस्था की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम न किए गए हों; या
- ग. आचार संहिता निर्धारित न की गई हो;
- (xviii) मामले में बोर्ड द्वारा तलाशी या जब्ती (सर्च एंड सीज़र) की कार्रवाई की गई हो;
- (xix) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र ऐसा कोई दूसरा फैक्टर जो ठीक लगे ।

मिटिगेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता घटाने वाले पहलू) [एम]

16. पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, नीचे बताए गए मिटिगेटिंग फैक्टर (जहाँ कहीं भी लागू हों) पर गौर करेगा, जिनमें से ज्यादा से ज्यादा पाँच मिटिगेटिंग फैक्टर्स के मामले में बेस वैल्यू (प्रत्येक का बेस वैल्यू '0.20' लिया जाएगा) जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-
- (i) निपटारे की रकम इतनी न हो जाए कि उसकी वजह से आवेदक निवेशकों को वह सब लौटा न पाए, जो भी उनका बनता हो;
 - (ii) जो कथित चूक की गई हो, उसमें आवेदक की भागीदारी बहुत ही कम रही हो;
 - (iii) खुद से ही काफी बढ़-चढ़कर सहयोग दिया हो, जिसमें शामिल हैं:
 - क. संदिग्ध गतिविधियों का या फिर उन गतिविधियों का खुद से पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश शिद्दत से की हो जो पहले सामने नहीं आई थी;
 - ख. उल्लंघनों का पता पहले ही खुद लगाया हो और फिर आंतरिक स्तर पर बारीकी से छानबीन करके तथ्य सामने रखे हों;
 - ग. जाँच-पड़ताल, तहकीकात, निरीक्षण या ऑडिट के दौरान सबूत हासिल करके उसे उपलब्ध करवाने में बढ़-चढ़कर पूरा-पूरा सहयोग दिया हो;
 - (iv) किसी गलत गतिविधि का पता चलने और उसमें कोई दखलअंदाजी होने से पहले ही बोर्ड के सामने ईमानदारी से उसकी जिम्मेदारी ली हो;
 - (v) हर जरूरी सुधारात्मक कदम उठा लिए हों, ताकि जो भी कुछ गलत हुआ वह दोबारा न हो;

- (vi) जहाँ रिपोर्टिंग के प्रावधान का पालन करने में 7 दिनों से कम की देरी हुई हो, और रिपोर्टिंग न करने की वजह से किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कोई मुनाफा या नुकसान न हुआ हो;
- (vii) मुआवजा देने का काम किया हो, जो कमीशन मिला हो या जो मुनाफे आदि हुए हों उसे (उन्हें) लौटा दिया (डिस्गॉर्ज कर दिया हो), और निवेशकों को वह सब लौटा दिया हो जो उनका बनता हो;
- (viii) जानकारी (डिस्कलोज़र) गलत फॉर्मेट में दे दी हो;
- (ix) आवेदक सरकारी प्राधिकरण की कोई यूनिट हो, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) की यूनिट भी शामिल है;
- (x) जानकारी आदि न देने (डिस्कलोज़र न करने) [जिसमें गलत या अधूरी जानकारी देना भी शामिल है] से जुड़े मामलों में, आवेदक ने किसी दूसरे विनियम के तहत संबंधित जानकारी दे दी हो (डिस्कलोज़र कर दिए हों) या फिर वह एक ऐसा बॉडी कारपोरेट हो जिसकी पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल (रिज़र्व सहित) दस करोड़ रुपये से कम की हो [यह प्रावधान उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो केवल होल्डिंग कंपनियाँ हों];
- (xi) जो गरीब लोग हों या फिर जिनके मामले में लिक्विडेशन या दिवाला प्रक्रिया चल रही हो या फिर जिनके संबंध में रेज़ोल्यूशन प्लान (समाधान योजना) / रीपेमेंट प्लान (चुकोती की योजना) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अड्जुडिकेटिंग ऑफिसर) के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जा चुका हो;
- (xii) उल्लंघन किए जाने के बाद कारपोरेट एंटीटी के नियंत्रण (कंट्रोल) या प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) में बदलाव हो गया हो;
- (xiii) जिस समय कथित चूक की गई हो उस समय आवेदक एक स्वतंत्र निदेशक रहा हो, और इस प्रकार हुई चूक की वजह से उसे कोई फायदा न मिला हो;
- (xiv) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र ऐसा कोई दूसरा फैक्टर जो ठीक लगे ।

सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें आदि

17. (1) सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तों आदि में निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक शामिल हो सकती हैं, अर्थात्:-

- (i) आगे से सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन न हो, इस उद्देश्य से प्रक्रियाओं एवं नीतियों को और बेहतर बनाकर उन्हें अमल में लाना, और साथ ही साथ आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने हेतु एक स्वतंत्र सलाहकार को नियुक्त करने के लिए सहमति देना;
- (ii) इंटरमीडियरी और एम.आई.आई. (सिक्यूरिटीज़ मार्केट की बुनियादी संस्थाओं) के कर्मचारियों को और ज्यादा प्रशिक्षण देना तथा जानकारी आदि प्रदान करना;
- (iii) आंतरिक स्तर पर ऑडिट और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत होना;
- (iv) एक तय अवधि के लिए कामकाज को निलंबित करना या रोकना, हालाँकि खंड (xi) का तो पालन करना ही होगा;
- (v) प्रबंध-मंडल से बाहर निकलना (एग्जिट लेना);
- (vi) सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए दी गई सेवाओं से आवेदक को जो मुनाफे आदि हुए, उन्हें लौटाना;
- (vii) सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करके जो रकम प्राप्त हुई, उसे लौटाना;
- (viii) किसी इंटरमीडियरी के भागीदार (पार्टिसिपेंट) या अधिकारी या निदेशक के तौर पर अथवा किसी कंपनी [जिसके किसी वर्ग के शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) बोर्ड के विनियामक (रेग्युलेटरी) दायरे में आते हों] के अधिकारी या निदेशक के तौर पर, तय अवधि तक, कार्य न करना;
- (ix) जो शेयर आदि (सिक्यूरिटीज़) धोखाधड़ी करके जारी किए गए हों उन्हें रद्द करना, जिसमें उन शेयरों आदि पर मिले बोनस शेयरों (यदि कोई हों) को रद्द करना और यदि कोई लाभांश (डिविडेंड) अदा किया गया हो तो वह लाभांश वसूल करना भी शामिल है, आदि;
- (x) शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) को लॉक-इन रखना;

(xi) खुद को, एक तय अवधि तक, शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़ने से तब रोकना [जिसमें खुद को शेयर खरीदने, बेचने या शेयरों में किसी भी तरह से लेनदेन करने (फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से) और शेयर बाजार से किसी भी तरह से जुड़ने से रोकना भी शामिल हैं], जब:

क. बहुत ज्यादा गंभीर उल्लंघन किया गया हो;

ख. आवेदक किसी गैर-कानूनी गतिविधि में की-ऑपरेटर हो या उसका कर्ता-धर्ता वही हो या फिर कथित चूक का सबसे ज्यादा फायदा आवेदक को ही हुआ हो; या

ग. आवेदक ने बार-बार डिफॉल्ट किया हो;

(xii) वह समस्त जानकारी देना (डिस्कलोज़र करना), जो सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी निर्धारित कार्यवाही के तहत देनी जरूरी हो (करने जरूरी हों);

(xiii) मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र ऐसी कोई दूसरी शर्तें आदि, जो ठीक समझी जाएँ ।

(2) जो कार्यवाही केवल जुर्माना लगाने के लिए ही की जा रही हो उन्हें छोड़कर दूसरी निर्धारित कार्यवाही के मामले में:

i. जहाँ कथित तौर पर किए गए उल्लंघनों की वजह से वित्तीय विवरणों (फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स) [जिनका ऑडिट किया जा चुका हो] पर असर पड़ा हो, और आगे के भी हर वित्तीय विवरण पर असर पड़ रहा है, वहाँ निपटारे की शर्तों आदि के तौर पर, आवेदक के लिए यह जरूरी होगा कि वह स्टॉक एक्सचेंज को इस संबंध में जरूरी जानकारी दे (डिस्कलोज़र करे) और साथ ही आगे जारी किए जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरणों (जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं) के साथ दिए जाने वाले एक्सप्लेनेटरी नोट्स में इस जानकारी को शामिल करे;

ii. जहाँ कथित तौर पर किए गए उल्लंघन की वजह से वित्तीय विवरण (फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स) [जिनका ऑडिट हो चुका हो] पर असर पड़ा हो, लेकिन उस उल्लंघन की वजह से आगे के वित्तीय विवरणों पर असर न पड़ रहा हो, वहाँ निपटारे की शर्तों आदि के तौर पर, आवेदक के लिए

यह जरूरी होगा कि वह स्टॉक एक्सचेंज को पहले के हर संबंधित वर्ष या अवधि की जरूरी जानकारी दे (डिस्क्लोज़ करे);

- iii. कथित तौर पर किए गए जिस उल्लंघन का जिक्र खंड (i) और खंड (ii) में किया गया है, यदि उसके बारे में आम लोगों को बताना जरूरी हो, तो ऐसे में आवेदक जरूरी जानकारी देगा (डिस्क्लोज़र करेगा);
- iv. जहाँ उल्लंघनों की वजह से वित्तीय विवरणों (फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स) [जिनका ऑडिट हो चुका हो] पर कोई असर न पड़े और वे उल्लंघन आगे जारी न रहें, वहाँ निपटारे की शर्तों आदि तौर पर, आवेदक को या तो इस संबंध में जरूरी जानकारी देनी होगी (डिस्क्लोज़र करना होगा) या फिर दूसरी शर्तें माननी होंगी;
- v. जहाँ पैसा (फंड) इधर-उधर करने या पैसों का गबन किए जाने के आरोप हों, वहाँ आवेदक को, निपटारे की शर्तों आदि के तौर पर, वह पैसा ब्याज (उल्लंघन किए जाने की तारीख से निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक जितना ब्याज बन रहा हो, उतने ब्याज) सहित कंपनी में वापस लाना होगा;
- vi. जहाँ पैसा इधर-उधर करने या पैसों का गबन किए जाने के आरोप हों, वहाँ निपटारे की शर्तें आदि तय करते समय इस पर भी गौर किया जाएगा कि जिस दौरान वित्तीय विवरणों में गड़बड़ी करके गलत आँकड़े पेश किए गए हों या पैसों का गबन किया गया उस दौरान शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में ट्रेडिंग करके आवेदक द्वारा गैर-कानूनी तरीके से कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान (जिसका जिक्र रिपोर्ट या कारण बताओ सूचना या आदेश में किया गया हो) की रकम कितनी थी;
- vii. जहाँ पैसा इधर-उधर करने या पैसों का गबन किए जाने के आरोप हों, और आवेदक, निपटारे की शर्तों आदि के तौर पर, वह सारा पैसा (ब्याज सहित) खुद से ही वापस लाना चाह रहा हो, वहाँ इस तरह से पैसा इधर-उधर करना या पैसों का गबन किया जाना महज इस वजह से मामले के निपटारे में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा कि ऐसा किए जाने के कारण निवेशकों को नुकसान हो गया है ।

- (3) जिन मामलों में उप-विनियम 2(i) और 2(ii) लागू होते हैं, उनमें आवेदक के पास, निपटारे (सेटलमेंट) की शर्तों आदि के तौर पर, यह विकल्प होगा कि वह डिस्कलोजर में और एक्सप्लेनेटरी नोट्स में यह बता दे कि उसने तथ्यों के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना ही डिस्कलोजर किया है ।

सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें आदि तय करते समय गौर की जाने वाली बातें

18.(1) विनियम 17 के तहत सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें आदि तय करते समय, जिन बातों पर गौर किया जा सकता है उनका जिक्र नीचे किया गया है (हालाँकि इन बातों के अलावा और बातों पर भी गौर किया जा सकता है), यानि कि:-

- (क) निर्धारित कार्यवाही, जाँच-पड़ताल, तहकीकात, निरीक्षण या ऑडिट के दौरान आवेदक का व्यवहार कैसा रहा;
- (ख) यदि कथित चूक (डिफॉल्ट) में एक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी रही हो, तो उस मामले में आवेदक की भूमिका क्या रही;
- (ग) कथित चूक किस तरह की थीं, वे कितनी गंभीर थीं और उनका असर क्या रहा;
- (घ) चूक (डिफॉल्ट) का व्यापक रूप से बाजार पर कितना असर पड़ा;
- (ङ) बाजार की निष्पक्षता पर कितना असर हुआ;
- (च) कितने निवेशकों को कितना नुकसान आदि झेलना पड़ा, या आवेदक ने कितना मुनाफा कमाया;
- (छ) क्या सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियाँ) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की वजह से आवेदक के खिलाफ कोई दूसरी कार्यवाही चल रही है या पूरी हो चुकी है;
- (ज) कथित चूक होने के बाद से, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रक्रियाएँ अपनाई गई हैं या क्या कदम उठाए गए हैं कि आगे चलकर चूक (डिफॉल्ट) आदि न हों;

- (झ) आवेदक द्वारा प्रावधानों का पालन कब-कब किया जाएगा;
 - (ञ) प्रावधानों का पालन न किए जाने या प्रावधानों का पालन देरी से किए जाने की वजह से किसी व्यक्ति को कितना मुनाफा हुआ;
 - (ट) ऐसी शर्तें जो उसी व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति को भविष्य में पालन न करने से रोकने के लिए जरूरी हों;
 - (ठ) निवेशकों को बकाया रकम का भुगतान करना या उन्हें शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़ / प्रतिभूतियाँ) की डिलीवरी करना;
 - (ड) ऐसी कोई दूसरी बात, जो मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनज़र ठीक लगे ।
- (2) उप-विनियम (1)(घ), (1)(ड) और (1)(च) में जो-जो जिक्र किया गया है, उसका समाधान अगर कुछ रकम लेकर और सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें आदि तय करके किया जा सकता हो (जिसमें आवेदक से निपटारे की रकम के तौर पर ज्यादा रकम लेना भी शामिल है), तो ऐसे में उस चूक (डिफॉल्ट) का निपटारा करने पर विचार किया जा सकता है ।
- (3) यदि पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की यह राय हो कि जो तथ्य बताए गए हैं, वे तो किसी और ही चूक की तरफ इशारा करते हैं, तो ऐसे में आरोप में बदलाव किया जा सकता है ।
- (4) जहाँ भी जरूरी हो, वहाँ पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा कथित चूकों (डिफॉल्ट) को तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा जाएगा ।

गोपनीयता प्रदान किए जाने के मामले में निपटारे की रकम

19. यदि बोर्ड गोपनीयता प्रदान किए जाने के संबंध में मंजूरी दे देता है, तो ऐसे में इन विनियमों के अनुसार तय की जाने वाली निपटारे की रकम निम्नानुसार घटाई जा सकेगी,-

- (i) वरीयता-क्रम में जिनका पहला स्थान हो, उनके संबंध में निपटारे की रकम नब्बे प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी;
- (ii) वरीयता-क्रम में जिनका दूसरा स्थान हो, उनके संबंध में निपटारे की रकम पचास प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी; और
- (iii) वरीयता-क्रम में जिनका तीसरा स्थान हो या उसके बाद के स्थान हों, उनके संबंध में निपटारे की रकम पच्चीस प्रतिशत तक या उसके बराबर घटाई जा सकेगी ।

ब्याज

20.(1) जहाँ किसी निर्धारित कार्यवाही में आवेदक पर कोई रकम अदा करने की देनदारी बनती हो [जिसमें गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान या निवेशकों को हुए नुकसान की रकम लौटाना (डिस्गॉर्ज करना) शामिल है], तो ऐसे में वह रकम नीचे बताई गई ब्याज दर से ब्याज के साथ अदा की जाएगी, यानि कि:-

- (i) यदि बोर्ड ने कोई अंतिम आदेश पारित न किया हो, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हुआ हो उस तारीख से लेकर निपटारे (सेटलमेंट) हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से; या
- (ii) यदि बोर्ड ने अंतिम आदेश पारित कर दिया हो, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन जिस तारीख को हुआ हो उस तारीख से लेकर अंतिम आदेश पारित किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, और उसके बाद निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए की तारीख तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ।

(2) उपरोक्त रकम पर ब्याज हर उल्लंघन होने की तारीख या हर ट्रांजैक्शन किए जाने की तारीख से लेकर निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख तक का लिया जाएगा ।

(3) ब्याज केवल आवेदक द्वारा अदा की जाने वाली मूलधन की रकम पर ही लिया जाएगा, और अदा न की गई ब्याज की रकम पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा ।

अध्याय - V

समितियों और पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल का गठन, प्रक्रियाएँ और शक्तियाँ

आंतरिक समिति

- 21.(1) बोर्ड आंतरिक समिति का गठन करेगा, जिसमें बोर्ड के अधिकारी शामिल होंगे ।
- (2) आंतरिक समिति में बोर्ड का एक ऐसा अधिकारी शामिल होगा जो मुख्य महाप्रबंधक के ओहदे का हो, और ऐसे दूसरे अधिकारी शामिल होंगे जैसा बोर्ड बताए ।
- (3) बोर्ड इन विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक कितनी भी आंतरिक समितियों का गठन कर सकेगा ।

आंतरिक समिति के समक्ष कार्यवाही

22. (1) इन विनियमों में जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर आवेदन आंतरिक समिति के पास यह जाँच-पड़ताल करने के लिए भिजवाया जाएगा कि क्या निर्धारित कार्यवाही का निपटारा किया जा सकता है, और यदि किया जा सकता है तो इन विनियमों के अनुसार निपटारे की शर्तें आदि क्या होंगी ।
- (2) निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में सिफारिश करते समय, आंतरिक समिति उन विभिन्न शक्तियों या विवेकाधिकार पर गौर करेगी, जो इन विनियमों के तहत पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के पास हैं (हैं) ।
- (3) आवेदक को आंतरिक समिति की बैठक में हाजिर होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसमें आवेदक या तो खुद हाजिर हो सकता है या फिर उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया प्रतिनिधि हाजिर हो सकता है ।
- स्पष्टीकरण.- बैठक में ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आयोजित की जाने वाली वर्चुअल बैठक भी शामिल है ।

(4) आंतरिक समिति पहले से तय की गई कोई बैठक स्थगित कर सकेगी या फिर आवेदक को दूसरी बैठक के लिए दोबारा बुला सकेगी ।

(5) आंतरिक समिति:

(क) कथित चूक से जुड़ी वह जानकारी, वे दस्तावेज, आदि मंगा सकेगी, जो आवेदक के पास हों या जो आवेदक को मिल सकते हों;

(ख) आवेदक को समिति के समक्ष खुद हाजिर होने के लिए कह सकेगी ।

स्पष्टीकरण. - ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए भी इस खंड के तहत बैठकों में हाजिरी दर्ज की जा सकती है;

(ग) यह आकलन करेगी कि चूक (डिफॉल्ट) की वजह से व्यापक रूप से बाजार पर क्या असर पड़ा, चूक (डिफॉल्ट) की वजह से निवेशकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा या चूक (डिफॉल्ट) की वजह से बाजार की निष्पक्षता पर कितना असर पड़ा ।

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि,-

(i) क्या आवेदक ने बकाया पैसा लौटा आदि (रिफंड या डिस्गॉर्ज कर) दिया है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;

(ii) क्या आवेदक ने सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए निवेशकों को एग्जिट का या खरीदने का विकल्प दिया है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;

(iii) क्या आवेदक ने सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया है या फिर सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का पालन किया है, और जिससे बोर्ड संतुष्ट है;

(iv) क्या आवेदक ने ऐसा कुछ और किया है, जो भी आंतरिक समिति द्वारा ठीक समझा जाए;

(ङ) आवेदक को आंतरिक समिति के साथ हुई बैठक में हुई चर्चा के अनुसार निपटारे की संशोधित शर्तें आदि प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगी, जो उसे आंतरिक समिति की बैठक की तारीख से ज्यादा से ज्यादा इक्कीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी;

(च) यदि किसी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (ऐसी एंटीटी जो अलग-अलग निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती है और फिर उसका निवेश करती है) ने कथित चूकों (डिफॉल्ट) का निपटारा करने के लिए निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो ऐसे में यह कह सकेगी कि निपटारे की रकम, यथास्थिति, ए.एम.सी. (असेट मैनेजमेंट कंपनी) या इन्वेस्टमेंट मैनेजर द्वारा अदा की जाए ।

(6) इन विनियमों में जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर आंतरिक समिति की बैठक के बाद आवेदक द्वारा पेश की गई शर्तों आदि और उनके संबंध में आंतरिक समिति द्वारा की गई सिफारिश को उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाएगा ।

उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति

23. (1) बोर्ड एक उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन करेगा, ताकि वह समिति आवेदक द्वारा निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में दिए गए प्रस्ताव पर और आंतरिक समिति द्वारा उनके संबंध में दी गई सिफारिश पर गौर करके अपनी सिफारिश दे सके ।

(2) निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में सिफारिश करते समय, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति उन विभिन्न शक्तियों या विवेकाधिकार पर गौर करेगी, जो इन विनियमों के तहत पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के पास हैं (हैं) ।

(3) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति में एक ऐसा न्यायिक सदस्य (ज्यूडिशियल मेंबर) होगा, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, और उसमें ऐसे तीन बाहरी विशेषज्ञ होंगे जो शेयर बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट / प्रतिभूति बाजार) या उनसे जुड़े विषयों आदि के जानकार हों ।

(4) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा, जो तीन और वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

- (5) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में कोरम तीन सदस्यों का होगा ।
स्पष्टीकरण. - ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए भी बैठकों में हाजिरी दर्ज की जा सकती है ।
- (6) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश समिति के अधिकाँश सदस्यों की सहमति के आधार पर (बहुमत के आधार पर) तय होगी ।
- (7) यदि एक राय न बन पाए या फिर बहुमत तय न हो पाए, तो ऐसे में न्यायिक सदस्य द्वारा की गई सिफारिश को उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश माना जाएगा ।
- (8) यदि न्यायिक सदस्य बैठक में हिस्सा लेने से खुद को अलग रखे (रेकूजल करे), तो ऐसे में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश वही मानी जाएगी जिस पर बहुमत के आधार पर समिति के बाकी के सदस्यों में से अधिकाँश सदस्य सहमत हो जाएँ ।
- (9) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति अपनी बैठकें उसी तरह आयोजित करेगी, जैसा बोर्ड इस संबंध में निर्धारित करे ।
- (10) जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का कोई सदस्य बैठक में हिस्सा लेने से खुद को अलग रखने की बात रखे, वहाँ बाकी के सदस्य निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर सकेंगे ।
- (11) जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के सभी सदस्य या एक सदस्य को छोड़कर बाकी सभी सदस्य किसी आवेदन के संबंध में बैठक में हिस्सा लेने से खुद को अलग रखें, वहाँ बोर्ड उस मामले के संबंध में दूसरी उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन कर सकेगा ।

उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष कार्यवाही

24. (1) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष जो निपटारे की प्रस्तावित शर्तें आदि और आंतरिक समिति की सिफारिश रखी जाएगी, उस पर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति विचार करने के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी विचार करेगी:
- (क) आवेदक का आवेदन, और उसके साथ प्रस्तुत किए गए वचन (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर);
 - (ख) विनियम 18 में बताई गई बातें;
 - (ग) निपटारे की शर्तें आदि या निपटारे की संशोधित शर्तें आदि, जिनका प्रस्ताव आवेदक ने दिया हो;
 - (घ) रिकॉर्ड में उपलब्ध कोई दूसरी जरूरी जानकारी या दस्तावेज, आदि ।
- (2) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति निपटारे की शर्तों आदि को संशोधित करने के लिए कह सकेगी और आवेदन वापस आंतरिक समिति को भिजवा सकेगी ।
- (3) उप-विनियम (1) में जिनके संबंध में विचार करने का जिक्र किया गया है उनके संबंध में विचार करने के बाद, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति निपटारे की शर्तें आदि मंजूर करने या उनमें संशोधन करने या फिर उन्हें नामंजूर करने के संबंध में अपनी सिफारिश करेगी ।
- (4) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशें पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष रखी जाएँगी ।

पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष कार्यवाही

- 25.(1) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल विनियम 28 में बताए गए मामलों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या आंतरिक समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और उन्हें स्वीकार या नामंजूर कर सकेगा ।

- (2) जहाँ उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या आंतरिक समिति द्वारा निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने के संबंध में की गई सिफारिशों को पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल स्वीकार न करे, वहाँ -
- (क) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे की शर्तों आदि की दोबारा जाँच-पड़ताल हेतु आवेदन को लौटा सकेगा, और फिर उसके बाद आंतरिक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो मूल आवेदन के मामले में अपनाई जाती है; या
 - (ख) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल सिफारिश को कारण दर्ज करके नामंजूर कर सकेगा, और पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के ऐसे निर्णय की जानकारी आवेदक को दी जाएगी और जानकारी देते समय नामंजूर किए जाने के कारण भी बताए जाएँगे ।
- (3) जहाँ निर्धारित कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश को पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल स्वीकार कर ले, वहाँ पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के निर्णय की तारीख से दस दिनों के भीतर आवेदक को मांग की सूचना (नोटिस ऑफ डिमांड) जारी की जाएगी, और आवेदक,-
- (क) मांग की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, निपटारे की रकम (जो निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा हो) जमा कराएगा, और जो इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किए पेमेंट गेटवे के जरिए ही जमा कराई जाएगी;
 - (ख) उसे दिए गए समय के भीतर, निपटारे की दूसरी शर्तों आदि (यदि कोई हों) का या तो पालन करेगा या पालन करने का वचन लिखित रूप में देगा;
 - (ग) ऐसी किसी दूसरी शर्त (जो निपटारे की शर्तों आदि का हिस्सा हो) का भी पालन उतने समय के भीतर करेगा, जो इस संबंध में आवेदक को दिया जाए ।
- (4) इन विनियमों की कोई भी बात, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता के आधार पर (कारण दर्ज करके) कोई आवेदन मंजूर या नामंजूर करने के, या इन विनियमों के अनुसार तय की गई रकम को घटाने या बढ़ाने के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के अधिकार को सीमित नहीं करेगी ।

अध्याय - VI

फास्ट ट्रैक निपटारा

फास्ट ट्रैक निपटारा

26. (1) इस अध्याय के तहत जिस कार्यवाही का निपटारा किया जाएगा, उसे फास्ट ट्रैक निपटारा कहा जा सकेगा ।
- (2) फास्ट ट्रैक निपटारा दो तरह का होगा:
- (i) प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर फास्ट ट्रैक निपटारा; और
 - (ii) निपटारे की रकम की सीमा के आधार पर किया जाने वाला फास्ट ट्रैक निपटारा ।
- (3) जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर विनियम 23 और 24 की कोई भी बात इस अध्याय के तहत निर्धारित कार्यवाही के निपटारे के मामले में लागू नहीं होगी ।

प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में किया जाने वाला फास्ट ट्रैक निपटारा

- 27.(1) बोर्ड, कोई निर्धारित कार्यवाही शुरू करने से पहले, नीचे जिन चूकों (डिफॉल्ट) का जिक्र किया गया है उनके मामले में, अनुसूची-II के भाग-ख में दिए हुए फॉर्मेट में फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी कर सकेगा, जिसमें एंटिटी को अध्याय-II के अनुसार निपटारे का आवेदन दाखिल करने और निपटारे की रकम जमा कराने को कहा जाएगा और साथ ही जिस शर्त आदि (जो सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित हो) का जिक्र फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना में किया गया हो, उस शर्त का या तो पालन करने को कहा जाएगा या फिर उसका पालन करने के संबंध में एक वचन प्रस्तुत करने को कहा जाएगा,-

- i. देरी से जानकारी देना (डिस्क्लोज़र करना) [जिसमें विवरणियाँ (रिटर्न), रिपोर्ट, दस्तावेज, आदि प्रस्तुत करना भी शामिल हैं];
 - ii. जिन प्रादेशिक (रीज़नल) स्टॉक एक्सचेंजों का एग़्रिट हो चुका है, केवल उन प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों के संबंध में जानकारी न देना (डिस्क्लोज़र न करना);
 - iii. निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी न देना (डिस्क्लोज़र न करना);
 - iv. किन्हीं कानूनी प्रावधानों या बोर्ड द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का पालन करने में देरी करना;
 - v. ऐसी अन्य चूकें (डिफॉल्ट), जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएँ ।
- (2) यदि बोर्ड की राय में एंटीटी तथ्यों की पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी नहीं देती या उतना सहयोग प्रदान नहीं करती जितना प्रदान करने को कहा जाए, तो ऐसे में बोर्ड उप-विनियम (1) के तहत फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) जारी नहीं भी कर सकेगा ।
- (3) फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास किसी एंटीटी के खिलाफ की जाने वाली कानूनी कार्रवाई (इन्फोर्समेंट एक्शन) में बदलाव करने की शक्ति होगी, और उस सूचना (नोटिस) का कदापि यह अर्थ न निकाला जाए कि निपटारा किए जाने की मांग करने का कोई अधिकार मिल गया है, या फिर किसी कानूनी कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार मिल गया है ।
- (4) उप-विनियम (1) के अनुसार जिस एंटीटी को सूचना (नोटिस) जारी की गई हो, वह एंटीटी फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर,-
- (क) बोर्ड के पास निर्धारित कार्यवाही के निपटारे हेतु आवेदन उसी तरह प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ-साथ वचन (अंडरटेकिंग), अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) और निपटारे की रकम तय करने का आधार भी प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा अनुसूची-I के क्रमशः भाग-क, भाग-ख और भाग-ग में बताया गया है ।

- (ख) निपटारे की रकम [जिसका जिक्र फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) में किया गया हो] जमा करा सकेगी;
- (ग) जिस शर्त आदि (जो सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित हो) का जिक्र फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना में किया गया हो, उस शर्त का या तो पालन करने को कहा जाएगा या फिर उसका पालन करने के संबंध में एक वचन प्रस्तुत करने को कहा जाएगा;
- (घ) निपटारे का आवेदन प्रस्तुत करते समय, निपटारे की रकम [जो फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना (नोटिस) में बताई गई हो] की गणना में सुधार करने (यदि करवाना हो) की मांग कर सकेगी, और बोर्ड का निर्णय प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर रकम जमा करा सकेगी ।
- (5) जहाँ एंटीटी द्वारा निपटारे की रकम की गणना में सुधार करने की माँग की जाए, वहाँ इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।
- (6) बोर्ड ऐसे कारणों से जो दर्ज किए जाएँ, निपटारे का आवेदन दाखिल करने के संबंध में या निपटारे की रकम जमा कराने के संबंध में या जिस शर्त आदि (जो सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित हो) का जिक्र फास्ट ट्रैक निपटारे की सूचना में किया गया हो, उस शर्त का या तो पालन करने के संबंध में एक वचन प्रस्तुत करने या फिर उसका पालन करने के लिए अधिक से अधिक पंद्रह दिनों का और समय दे सकेगा ।
- (7) जब बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाए कि निपटारे की सूचना (नोटिस) में बताई गई निपटारे की रकम जमा करा दी गई है और जिस शर्त आदि (जो सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित हो) का जिक्र निपटारे की सूचना में किया गया हो, उस शर्त का या तो पालन करने के संबंध में एक वचन प्रस्तुत कर दिया गया है या फिर उसका पालन कर लिया गया है, तब बोर्ड विनियम 34 के तहत निपटारे का आदेश पारित करेगा ।

निपटारे की रकम की सीमा के आधार पर किया जाने वाला फास्ट ट्रैक निपटारा

28. (1) विनियम 22 के अनुसार निपटारे के आवेदन पर विचार करते समय, यदि आंतरिक समिति की यह राय हो कि इन विनियमों के अनुसार तय की गई निपटारे की रकम दस लाख रुपये तक की है और कोई धनराशि लौटाई न जानी हो (प्रत्यर्पण / डिस्गॉर्जमेंट नहीं किया जाना है) या फिर कोई सुधारात्मक कदम न उठाया जाना हो और किसी प्रावधान आदि का पालन किए जाने से संबंधित किसी शर्त का पालन न किया जाना हो, तो ऐसे में आंतरिक समिति आवेदक से विनियम 22(5)(ड) के अनुसार कदम उठाने के लिए कहेगी ।
- (2) निपटारे की शर्तों आदि में बदलाव किए जाने के बाद, आवेदन पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष रखा जाएगा, और उसके बाद विनियम 25 और 34 में निर्धारित की गई प्रक्रिया (जरूरी बदलावों के साथ) लागू होगी ।

फास्ट ट्रैक निपटारा करवाने की सुविधा का लाभ न उठाने का नतीजा

29. (1) यदि कोई एंटीटी, -
- (i) विनियम 27 के तहत निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत न करे;
 - (ii) विनियम 27 के तहत दी गई सूचना (नोटिस) में बताए गए समय के भीतर निपटारे की रकम जमा न कराए;
 - (iii) निपटारे की रकम अदा न करे या फिर विनियम 28 के अनुसार निपटारे की शर्तों आदि में बदलाव करके प्रस्तुत न करे,

तो ऐसे में उस एंटीटी के खिलाफ निर्धारित कार्यवाही शुरू की जा सकेगी या जारी रखी जा सकेगी, और उस एंटीटी को केवल कार्यवाहियों के अगले चरण में ही निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी ।

अध्याय - VII

निपटारा और गोपनीयता

निपटारा और गोपनीयता

30. (1) बोर्ड ऐसे व्यक्ति को गोपनीयता का फायदा दे सकता है, जो सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई या शुरू की जाने वाली जाँच-पड़ताल, तहकीकात (इन्वेस्टिगेशन / अन्वेषण), निरीक्षण या ऑडिट (लेखापरीक्षा) में पूरी-पूरी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गोपनीयता का यह फायदा शुरू की जाने वाली निर्धारित कार्यवाहियों के निपटारे के सिलसिले में ही गलती स्वीकार करने के मामले में लागू होगा।
- (2) उप-विनियम (1) में जिस फायदे का जिक्र है वह लेने के लिए आवेदक को इस अध्याय में दी हुई शर्तों पर खरा उतरना होगा, जिनमें शामिल हैं -
- (क) जानकारी जाहिर (डिस्कलोज़) किए जाने के समय से सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में शिरकत करना वह बंद कर देगा, जब तक कि बोर्ड द्वारा कोई दूसरा निदेश न दे दिया जाए;
 - (ख) सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के कथित उल्लंघन के संबंध में वह पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी देना, वे समस्त दस्तावेज और सबूत देना और आगे भी देते रहना, जो भी उसके पास हों या जो भी वह हासिल कर सकता हो, और जिससे बोर्ड भी संतुष्ट हो जाए;
 - (ग) जाँच-पड़ताल, तहकीकात, निरीक्षण, या ऑडिट (लेखापरीक्षा) और बोर्ड के समक्ष चल रही संबंधित कार्यवाही के दौरान पूरी तरह से, सतत रूप से और तत्परता से सहयोग देना; और
 - (घ) किसी भी प्रकार से ऐसे किन्हीं संबंधित दस्तावेजों को न तो छिपाना, न ही उन्हें नष्ट करना, न ही उनमें हेराफेरी करना और न ही उन्हें हटाना, जो कथित उल्लंघन को साबित करने में मददगार हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय में सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन का अर्थ है - जानकारी देने (डिस्क्लोजर करने) और रिपोर्टिंग के प्रावधानों से जुड़ी चूकों को छोड़कर कोई दूसरी चूकें ।

- (3) इस अध्याय के तहत आवेदन केवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा, जिन मामलों में या तो जाँच-पड़ताल, तहकीकात, निरीक्षण, या ऑडिट शुरू न हुआ हो या फिर चल रहा हो ।
- (4) इस अध्याय में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई आवेदक इस विनियम में बताई गई शर्तों का पालन नहीं करता है, तो ऐसे में बोर्ड आवेदक द्वारा किसी कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत की गई जानकारी और पेश किए गए सबूत के आधार पर कार्यवाही कर सकेगा ।
- (5) उप-विनियम (1), (2) और (3) में जिन पाबंदियों या शर्तों का जिक्र किया गया है, उनके अलावा बोर्ड मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, आवेदक पर और पाबंदियाँ या शर्तें (जो भी वह ठीक समझे) लगा सकेगा ।
- (6) गोपनीयता का फायदा लेने के सिलसिले में, आवेदक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदन कर सकेगा, जिसमें सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का किसी भी तरह से उल्लंघन किए जाने के संबंध में जानकारी और सबूत प्रस्तुत करने हेतु अनुसूची-III के अनुसार समस्त जानकारी देनी होगी (डिस्क्लोजर करने होंगे) ।
- (7) बोर्ड, संतुष्ट हो जाने पर, गोपनीयता का फायदा देने का आश्वासन दे सकेगा और आवेदन के संबंध में वरीयता-क्रम निर्धारित कर सकेगा और उसकी जानकारी आवेदक को लिखित रूप में दे सकेगा ।
- (8) यदि यह पाया जाए कि आवेदक ने जानबूझकर अधूरी या गलत जानकारी दी है, अधूरे या गलत दस्तावेज या सबूत दिए हैं, तो ऐसे में बोर्ड, उन कारणों से जो

लिखित रूप में दर्ज किए जाएँ, आवेदन को किसी भी चरण में नामंजूर कर सकेगा।

- (9) गोपनीयता हेतु किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने की सूचना आवेदक को दे दी जाएगी।

प्रक्रिया

31. (1) इन विनियमों के अध्याय-IV, V और VIII के प्रावधान इस अध्याय के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले निपटारे हेतु आवेदन और उसके संबंध में पारित किए जाने वाले निपटारे के आदेश के मामले में, *जरूरी बदलावों के साथ*, लागू होंगे।
- (2) आवेदक द्वारा इस अध्याय के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज और सबूत उसी तरह प्रस्तुत किए जाएँगे, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।

गोपनीयता और आश्वासन

32. आवेदक को गोपनीयता का फायदा देने और उसके खिलाफ कार्यवाही न किए जाने का आश्वासन देने के उद्देश्य से बोर्ड तब कोई विनियामक (रेग्यूलेटरी) कदम नहीं उठाएगा, जब उसे इस बात का पूरा भरोसा हो जाए कि उसे दी गई जानकारी सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के ऐसे किसी उल्लंघन से जुड़ी जानकारी है जो या तो हो चुका हो या हो रहा हो या फिर होने वाला हो।

गोपनीयता

33. (1) अध्याय-VIII में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित को गोपनीय माना जाएगा,-
- (i) गोपनीयता की माँग करने वाले आवेदक की पहचान; और

- (ii) आवेदक द्वारा इस अध्याय के तहत दी गई जानकारी, प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और पेश किए गए सबूत ।
- (2) उप-विनियम (1) में जो प्रावधान किया गया है, उसके बावजूद आवेदक की पहचान अथवा ऐसी जानकारी या दस्तावेजों या सबूत को गोपनीय नहीं माना जा सकेगा, यदि, -
- (i) कानूनी प्रावधानों के अनुसार उसकी जानकारी देना (उसका डिस्क्लोज़र करना) जरूरी हो;
- (ii) आवेदक ने लिखित रूप में ऐसी जानकारी देने (डिस्क्लोज़र करने) के लिए सहमति दे दी हो; या
- (iii) आवेदक द्वारा सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी दी गई (डिस्क्लोज़र किया गया) हो ।

अध्याय - VIII

निपटारे के आदेश

निपटारे का आदेश

34. (1) पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर की गई निपटारे की शर्तों आदि के आधार पर, निर्धारित कार्यवाही का निपटारा उस संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करके किया जाएगा, जिसके समक्ष वह निर्धारित कार्यवाही चल रही हो ।
- (2) किसी मामले में *स्वेच्छा से* प्रस्तुत किए गए निपटारे के आवेदन, विनियम 5 के तहत जारी की गई सूचना (नोटिस) या विनियम 27 के तहत जारी की गई सूचना (नोटिस) के मामले में पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निर्धारित कार्यवाही निपटाने के लिए आदेश पारित करेगा, और जो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर की गई निपटारे की शर्तों के अनुसार पारित किया जाएगा ।

- (3) इन विनियमों के तहत पारित किए जाने वाले निपटारे के आदेश में, कथित चूक के ब्यौरे दिए जाएँगे, सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित उन कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया जाएगा जो मामले से संबंधित हों, कथित चूक से संबंधित तथ्यों व परिस्थितियों की जानकारी दी जाएगी, यह बताया जाएगा कि आवेदक ने क्या-क्या कबूल किया है (यदि कुछ कबूल किया गया हो), और निपटारे की शर्तों आदि की जानकारी भी दी जाएगी ।
- (4) गोपनीयता से संबंधित मामलों के संबंध में पारित किए जाने वाले निपटारे के आदेश में, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, आवेदक की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी, किंतु उसमें सिक्यूरिटीज़ (प्रतिभूतियों) से संबंधित उन कानूनी प्रावधानों का जिक्र होगा जिनके उल्लंघन का आरोप आवेदक पर हो ।

न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के निपटारे की प्रक्रिया

35. (1) इन विनियमों में जैसा बताया गया है, उसे छोड़कर निर्धारित कार्यवाही के निपटारे से संबंधित प्रावधान, *जरूरी बदलावों के साथ*, न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या उच्चतम न्यायालय के समक्ष चल रही किसी कार्यवाही के निपटारे हेतु किए गए आवेदन के मामले में लागू होंगे ।

- (2) निपटारे का प्रस्ताव (निपटारे की शर्तों आदि के साथ) या निपटारे की नामंजूरी को उपयुक्त आदेशों के लिए ट्राइब्यूनल या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा ।

निपटारे के आदेश की तामील और उसे प्रकाशित करना

36. निपटारे के आदेश की तामील आवेदक को दी जाएगी और जो बोर्ड की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा ।

निपटारे की स्कीमें

37. इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड के पास, किसी भी वर्ग के व्यक्तियों (जिन्होंने एक ही जैसी कोई निर्धारित चूकें की हों) के लिए, निपटारे की स्कीम (जिसमें निपटारे की शर्तें आदि निर्धारित की जाएँ) लाने की शक्ति होगी ।

स्पष्टीकरण.- निपटारे की स्कीम के तहत जारी किए जाने वाले निपटारे के आदेश के बारे में यह माना जाएगा कि वह आदेश इन विनियमों के तहत जारी किया गया निपटारे का आदेश है ।

अन्य पक्ष (थर्ड पार्टी) के अधिकारों या दूसरी कार्यवाही पर निपटारे के आदेश का असर

38. (1) इन विनियमों के तहत जारी किया गया निपटारे का आदेश न तो कथित चूक (जिसका जिक्र निपटारे के आदेश में न हो) से संबंधित किसी दूसरी कार्यवाही में सबूत के तौर पर मान्य होगा और न ही वह कथित चूक की वजह से अन्य पक्षों (थर्ड पार्टी) के अधिकारों पर असर डालेगा ।

- (2) जहाँ कोई आवेदक (जिसे निपटारे का आदेश मिला हो) किसी सिविल या प्रशासनिक कार्यवाही में नोटिसी (किसी दूसरे व्यक्ति के साथ-साथ) हो, वहाँ ऐसे दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही का निपटारा करते समय संबंधित प्राधिकारी (जिसके समक्ष निर्धारित कार्यवाही चल रही हो), आवेदक के संबंध में वे जरूरी टिप्पणियाँ कर सकेगा, जहाँ तक वे दूसरे व्यक्ति के कार्य को साबित करने के लिए जरूरी हों ।

- (3) जब तक निपटारे का आदेश रद्द न कर दिया जाए, तब तक उन टिप्पणियों का आवेदक पर क्या असर पड़ेगा यह तो आवेदक को मिले निपटारे के आदेश पर निर्भर करेगा ।

- (4) जहाँ किसी व्यक्ति को निपटारे का ऐसा कोई आदेश मिले, जिसमें कथित चूक (डिफॉल्ट) करने के सिलसिले में किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में टिप्पणियाँ की गई हों, वहाँ ऐसा आदेश किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगा ।

- (5) यदि किसी आवेदक के संबंध में विनियम 34 के तहत निपटारे का आदेश पारित कर दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति (जो उस निर्धारित कार्यवाही में आवेदक के साथ-साथ नोटिसी हों) उसका हवाला देकर छूट नहीं पा सकते या यह दावा नहीं कर सकते कि उपरोक्त कार्यवाही से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।

निपटारे का आदेश रद्द करना

39. (1) निपटारे के आदेश में जिस शर्त आदि का जिक्र हो, अगर आवेदक उस शर्त का पालन न करे या फिर अगर निपटारे का आदेश पारित होने के बाद किसी भी समय बोर्ड की जानकारी में यह बात आए कि आवेदक ने पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी नहीं दी है (डिस्क्लोजर नहीं किए हैं) या फिर दिए हुए वचनों (अंडरटेकिंग) या अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचनों (वेवर) का उल्लंघन किया है, तो ऐसे में निपटारे का आदेश रद्द किया जा सकेगा, और बोर्ड वह कार्यवाही शुरू कर देगा या फिर से शुरू कर देगा, जिसके सिलसिले में निपटारे का आदेश पारित किया गया था ।
- (2) निपटारे के किसी आदेश को रद्द करने से पहले, आवेदक को बोर्ड के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा ।
- (3) जब भी निपटारे का कोई आदेश रद्द किया जाए, तब इन विनियमों के तहत अदा की गई कोई भी रकम लौटाई नहीं जाएगी ।

अध्याय - IX

विविध

जानकारी की गोपनीयता

40. (1) इन विनियमों के तहत निपटारे की कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी और की गई समस्त चर्चाओं के बारे में यह माना जाएगा कि जानकारी फिड्यूशरी कैपेसिटी में दी गई है और चर्चाएँ भी फिड्यूशरी कैपेसिटी में की गई

हैं, और यदि उन्हें सार्वजनिक करने से बोर्ड या आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसे में वे सार्वजनिक नहीं की जाएँगी ।

(2) यदि कोई आवेदन नामंजूर कर दिया जाए या वापस ले लिया जाए, तो ऐसे में आवेदक और बोर्ड इन विनियमों के तहत आवेदक द्वारा दिए गए किन्हीं प्रस्तावों या प्रस्तुत की गई किसी जानकारी या आवेदक की ओर से रखे गए पक्ष पर, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के समक्ष, न तो निर्भर रहेंगे और न ही उन्हें सबूत के तौर पर पेश करेंगे ।

(3) उप-विनियम (2) वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ निपटारे का आदेश इन विनियमों के तहत रद्द कर दिया जाए ।

स्पष्टीकरण.- जब आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त होने के बाद किसी तथ्य का पता चलता हो, तो ऐसी जानकारी, चाहे वह कबूल की गई हो या न की गई हो, साबित की जा सकेगी जहाँ तक उसका सरोकार साफ तौर पर उस तथ्य से हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

41. इन विनियमों के प्रावधानों के आशय को लेकर या उनके लागू आदि होने को लेकर यदि किसी तरह की कोई कठिनाई आए, तो उसे दूर करने के लिए बोर्ड के पास परिपत्रों (सर्कुलर्स) या दिशानिर्देशों (गाइडलाइन्स) के जरिए स्पष्टीकरण जारी करने और प्रक्रियाएँ निर्धारित करने की शक्ति होगी ।

छूट प्रदान करने की शक्ति

42. (1) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल इन विनियमों के उद्देश्य के सिलसिले में और ऐसी शर्तों के तहत जो भी ठीक समझी जाएँ, किसी भी कार्य के संबंध में तय की गई समय-सीमाओं में छूट वहाँ दे सकता है, -

(i) जहाँ उस कार्य को पूरा करने की अंतिम तारीख से तीस से ज्यादा दिनों का समय न बीता हो; और

- (ii) जहाँ समय-सीमाओं का पालन उन कारणों से पूरा न हो पाया हो, जो आवेदक के नियंत्रण से परे थे ।
- (2) उप-विनियम (1) के अनुसार समय-सीमाओं से छूट देने की शक्ति विनियम 4(1) और 5(1) में बताई गई समय-सीमा बढ़ाने के मामले में लागू नहीं होगी।
- (3) मांग की सूचना (नोटिस) में निपटारे (सेटलमेंट) की रकम अदा करने के लिए जो समय दिया गया हो अगर वह समय बढ़ाने की मांग की जाए, तो ऐसे में पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे की वह रकम एक प्रतिशत तक बढ़ा सकेगा, और साथ ही इस तरह से ज्यादा से ज्यादा तीस और दिनों का समय ही दिया जाएगा ।

प्रक्रिया में खामी आदि

43. (1) निपटारे का कोई भी आदेश या निपटारे के आवेदन की कोई भी नामंजूरी, प्रक्रिया में या निपटारे की शर्तें आदि तय किए जाने में रही किसी खामी के आधार पर या फिर अध्याय-V के तहत किसी समिति में कोई पद खाली रहने की वजह से या उस समिति के गठन में रही किसी खामी की वजह से अमान्य नहीं ठहराई जाएगी ।
- (2) जहाँ निपटारे की शर्त आदि में कोई विसंगति होने की वजह से जितनी रकम की देनदारी बन रही हो, आवेदक वह रकम अदा न करे, तो ऐसे में इन विनियमों में दी हुई कोई भी बात बोर्ड को निपटारे का आदेश रद्द करने से नहीं रोकेंगी ।
- (3) आवेदक अधिकारों आदि के त्याग संबंधी उन वचनों (वेवर) से भी बाध्य रहेगा जो बाद में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू किए जाने या जारी रखे जाने या दोबारा शुरू किए जाने से जुड़े लिमिटेशन और लैचिज़ के संबंध में उसके द्वारा दिए गए हों, और साथ ही अधिकारों आदि के त्याग संबंधी उन वचनों (वेवर) से भी बाध्य

रहेगा, जिनका जिक्र अनुसूची-I के भाग-ख में दिए हुए पैरा 12 के उप-पैरा (घ), (ङ), (च) तथा (छ) में किया गया है ।

स्पष्टीकरण.- शंकाएँ दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के तहत जितनी रकम का अंतर पाया जाए उतनी रकम माँगने का अधिकार होगा, और जिन उल्लंघनों के संबंध में निर्धारित कार्यवाहियाँ शुरू की गई हों उन उल्लंघनों की वजह से जितना मुनाफा कमाया गया हो या जितना नुकसान टाला गया हो वह रकम भी इसमें हमेशा से ही शामिल मानी जाएगी ।

पहले वाले प्रावधानों के तहत चल रही कार्यवाहियाँ

44. भले ही विनियम 45 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 निरस्त हो जाएँ, फिर भी इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक निपटारे के जो आवेदन बोर्ड के पास लंबित हों, उन पर कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी, अर्थात्:-

- (i) जिन लंबित आवेदनों के संबंध में पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल ने निपटारे की शर्तों आदि के संबंध में पहले ही मंजूरी दे दी हो, उससे संबंधित कार्यवाही उन्हीं शर्तों के अनुसार की जाएगी, जिनकी मंजूरी पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के तहत दे दी हो ।
- (ii) जिन लंबित आवेदनों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हों, किंतु इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक वे सिफारिशें पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर न की गई हों, उनके संबंध में आवेदक को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह, बोर्ड से सूचना (नोटिस) प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या तो इन विनियमों के तहत नए सिरे से कार्यवाही चलाने की मांग करे या फिर उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के तहत निपटारे की जितनी रकम की सिफारिश की गई हो वह रकम अदा करके अपने आवेदन पर कार्यवाही की जाने की मांग करे ।

- (iii) जिन लंबित आवेदनों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति ने अब तक कोई सिफारिश न की हो, उनके संबंध में इन विनियमों के तहत कार्यवाही नए सिरे से आंतरिक समिति की बैठक बुलाकर की जाएगी।

पहले के प्रावधानों को निरस्त करना और उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

45. (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख से ही, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 निरस्त हो जाएँगे।

- (2) उपरोक्त विनियमों (रेग्यूलेशन्स) के इस प्रकार निरस्त हो जाने पर:

- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के तहत जारी की गई संक्षिप्त निपटारे की सूचना (नोटिस) के बारे में यह माना जाएगा कि वह सूचना इन विनियमों के अनुसार जारी की गई है और उसके संबंध में कार्यवाही इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के तहत पारित किए गए निपटारे के सभी आदेशों के बारे में यह माना जाएगा कि वे इन विनियमों के तहत पारित किए गए हैं;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित आंतरिक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के बारे में यह माना जाएगा कि उनका गठन इन विनियमों के तहत किया गया है;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 का जिक्र अगर किन्हीं भी दूसरे विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में आया हो, तो उसके बारे में यह माना जाएगा कि इन विनियमों का ही जिक्र हो रहा है।

अनुसूची - I
(विनियम 3 देखें)

भाग - क
[विनियम 3(2) देखें]

फॉर्म
निपटारे के लिए आवेदन

(केवल कार्यालय के इस्तेमाल के लिए)

आवेदन प्राप्त होने की तारीख :

आवेदन की रजिस्ट्रीकरण संख्या :

[अनुदेश: सभी विवरण (जिनमें शामिल हैं - निवेशकों को हुआ नुकसान, कमाया गया मुनाफा और निपटारे की प्रस्तावित रकम के व्यौरों के संबंध में अपना पक्ष) अवश्य भरे जाएँ, नहीं तो आवेदन लौटा दिया जाएगा। जहाँ लागू न हो, केवल वहीं 'लागू नहीं' लिखें।]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के समक्ष
..... के मामले में

1. आवेदक / सह-आवेदकों का नाम / ट्रेड नाम :
 - (क) रजिस्ट्रेशन नं., यदि लागू हो :
 - (ख) रजिस्ट्रेशन की तारीख, यदि लागू हो :
 - (ग) पैन / डी.आई.एन. / सी.आई.एन. संख्या (जो भी उपलब्ध हो) :
2. यदि स्टॉक ब्रोकर हो, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम :
3. यदि प्राधिकृत व्यक्ति (अथॉराइज़्ड पर्सन) हो, तो उस स्टॉक ब्रोकर का नाम जिसके साथ जुड़े हुए हों और स्टॉक एक्सचेंज का नाम:

4. संस्था (ऑर्गनाइज़ेशन) किस तरह की है: कारपोरेट बॉडी / सोल प्रोप्राइटरशिप / पार्टनरशिप / एल.एल.पी. आदि (यदि लिस्टिड कंपनी हो, तो लिस्टिंग के ब्यौरे):
5. पता / पत्राचार का पता, संपर्क संख्या और ईमेल (यदि उपरोक्त ब्यौरों में कोई बदलाव होते हैं, तो उसकी जानकारी बोर्ड को तुरंत दी जाए):
6. संपर्क व्यक्ति (व्यक्तियों) का नाम और संपर्क संबंधी ब्यौरे (ईमेल सहित):
7. वह निर्धारित कार्यवाही, जो बोर्ड / ए.ओ. / किसी और के समक्ष चल रही हो (कृपया बताएँ):
8. वह निर्धारित कार्यवाही, जो बोर्ड / ए.ओ. / किसी और द्वारा पूरी कर ली गई हो (कृपया बताएँ):
9. वह मामला (वे मामले), जिसमें (जिनमें) सेबी भी एक पक्ष (पार्टी) हो, और जो किसी न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) / किसी दूसरे फोरम के समक्ष चल रही हों (कृपया बताएँ):
10. किसी दूसरी प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) एजेंसी के समक्ष चल रही कार्यवाही, यदि कोई हो:
11. आवेदक के खिलाफ बोर्ड / ए.ओ. / अन्यो के समक्ष चल रही / पूरी कर ली गई दूसरी कार्यवाहियाँ (उनके ब्यौरों सहित) और दूसरे ब्यौरे, यदि कोई हों:
12. उस कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) / समन / सूचना आदि की तारीख, जिसमें उस संभावित मामले (कॉज़ ऑफ़ एक्शन), यदि कोई हो, का जिक्र किया गया हो जिसके सिलसिले में निपटारे की माँग की गई हो (कृपया प्रतियाँ संलग्न करें)*:
13. निर्धारित कार्यवाही किस चरण पर लंबित है, और साथ ही बोर्ड या न्यायनिर्णायक अधिकारी (अडजुडिकेटिंग ऑफिसर) द्वारा प्रदान किए गए सुनवाई के अवसर के ब्यौरे, यदि कोई हों:
14. तथ्यों की पूरी-पूरी और सही-सही जानकारी [जिसमें शामिल है - मामला (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) के सिलसिले में कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा कमाया गया, टाले गए नुकसान की

रकम कितनी रही, फीस, दलाली (ब्रोकरेज), कमीशन आदि के तौर पर कुल कितनी रकम मिली, और यह रकम किस प्रकार निकाली गई] :

15. स्पष्ट तौर पर लगाए गए आरोप :

16. विनियम 6(1)(iii), 6(2) और 22(5)(घ) के संबंध में दलील :

17. आवेदक द्वारा प्रस्तावित निपटारे की शर्तें आदि :-

(क) इस अनुसूची के भाग-ग के साथ पठित विनियम 10 के अनुसार निपटारे की रकम कैसे निकाली गई [जैसे: आधार राशि (बेस अमाउंट), कार्यवाही का चरण, रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर (कार्रवाई के लिहाज से), ग्रेविटी फैक्टर (मामले की गंभीरता के लिहाज से), अग्रेवेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता बढ़ाने वाले पहलू), मिटिगेटिंग फैक्टर (मामले की गंभीरता घटाने वाले पहलू), जो भी लागू हो]

(ख) गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे या टाले गए नुकसान या निवेशकों को पहुँचाए गए नुकसान, जहाँ भी आरोप लगाया गया हो, की लौटाई (डिस्गॉर्ज की) जाने वाली रकम:-

(ग) सुधारात्मक कदम उठाने और किसी प्रावधान आदि का पालन करने से संबंधित शर्तें:-

18. दिए जाने वाले मूल दस्तावेज :

(क) वचन (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) (भाग-ख में निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार) ।

(ख) प्राधिकार-पत्र (अथॉरिटी लेटर) / बोर्ड का संकल्प (बोर्ड रेज़ोल्यूशन) ।

19. दिए जाने वाले अन्य दस्तावेजों की सूची :

(क) उस कारण बताओ सूचना (शो कॉज़ नोटिस) / समन / सूचना / अन्य सूचनाओं (नोटिस) की प्रति, जिसमें उस संभावित मामले (कॉज़ ऑफ एक्शन) [यदि कोई हो] का जिक्र किया गया हो, जिसके सिलसिले में निपटारे की माँग की गई हो;

(ख) पैन कार्ड की प्रति / डीआईएन / सीआईएन के ब्यौरे (यदि आवेदक अनिवासी भारतीय हो, तो पासपोर्ट में ब्यौरे दें और देश की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज दें, यदि कोई हो);

- (ग) यदि आवेदक किसी दूसरे देश की बॉडी कारपोरेट हो, तो उसे गठन (इनकारपोरेशन), कारोबार के स्थान, दूसरे देश के वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) से मिले रजिस्ट्रेशन के ब्यौरे दें ।
- (घ) कोई दूसरा (दूसरे) संबंधित दस्तावेज / पक्ष ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं, श्री / श्रीमती / सुश्री का पुत्र / की पुत्री /
की पत्नी (नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें) आवेदक के नाते / का प्राधिकृत प्रतिनिधि
(बॉडी कारपोरेट के मामले में) होने के नाते, एतद्वारा शपथपूर्वक यह पुष्टि करता/करती हूँ यह
आवेदन और इसमें दी गई बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास तथा रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं,
और यह कि मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं । मैं यह भी आश्वासन देता/देती हूँ
कि अगर कोई भी और जरूरी बात मेरी जानकारी में आए, तो मैं उसकी जानकारी बोर्ड को
बिना किसी देरी के दे दूँगा/दूँगी ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

भाग-ख**[विनियम 3(2) देखें]****वचन (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर)****फॉर्मेट**

[प्रत्येक आवेदक द्वारा स्वयं प्रमाणित करके प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला वचन विधिवत् रूप से स्टाम्प शुल्क अदा करके प्रस्तुत किया जाए]

मैं/हम, (आवेदक), बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे संलग्न आवेदन की जाँच करने और उस पर विचार करने के लिए शर्त के तौर पर, एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि मैं/हम सहमत हूँ/हैं और यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि:

- (1) मैं/हम कथित चूक के संबंध में उपयुक्त कार्यवाही शुरू करने के सेबी के क्षेत्राधिकार और अधिकार को स्वीकारता/स्वीकारती हूँ / स्वीकारते हैं ।
- (2) मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं और यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि निपटारे की कार्यवाही में जो भी समय लगेगा वह, मेरे/हमारे खिलाफ, कोई कानूनी कार्यवाही (यदि कोई हो) शुरू करने या जारी रखने या दोबारा शुरू करने के संबंध में परिसीमन (लिमिटेशन) की अवधि या लैचिज़ (यदि कोई हो) निकालते समय नहीं गिना जाएगा और इस संबंध में किसी तरह की आपत्ति उठाने के अपने अधिकार का त्याग (को वेव) करता/करती हूँ / करते हैं ।
- (3) सेबी इस आवेदन के सिलसिले में पारित किए गए निपटारे के आदेश के किसी उल्लंघन की वजह से या के संबंध में मेरे/हमारे खिलाफ उठने वाले किन्हीं दावों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा ।

- (4) निपटारे के आदेश की कोई भी बात किसी दूसरे व्यक्ति को किन्हीं दूसरे कानूनी प्रावधानों के अनुसार कारवाई (जो कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा व्यक्ति मेरे/हमारे खिलाफ करने का हकदार हो) करने से नहीं रोकेगी ।
- (5) मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निपटारे से न तो किसी व्यक्ति [जो इन कार्यवाहियों में पक्ष (पार्टी) न हो] के किन्हीं निजी अधिकारों आदि पर कोई असर पड़ेगा और न ही उसे कोई निजी अधिकार आदि मिलेगा ।
- (6) निपटारे की रकम [जिसमें कानूनी कार्यवाहियों पर हुए खर्चे आदि (यदि कोई हों) की रकम भी शामिल है] बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर मेरे/हमारे द्वारा बोर्ड को अदा की जाएगी ।
- (7) निपटारे के आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों का पालन किया गया है और उसे तदनुसार लागू किया जाएगा ।
- (8) मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि निपटारे का आदेश पारित होने के बाद, मैं/हम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बोर्ड के किसी निष्कर्ष (जिसके अंतर्गत निपटारे के आदेश में रिकॉर्ड किया गया निष्कर्ष शामिल है) को अस्वीकार करते हुए या यह धारणा बनाते हुए कि निपटारे का आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं है, न तो कोई कार्रवाई करूँगा/करूँगी / करेंगे, न ही सार्वजनिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी करूँगा/करूँगी / करेंगे और न ही ऐसा किए जाने की अनुमति दूँगा/दूँगी / देंगे ।
- (9) मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ / करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए वचन (अंडरटेकिंग) और अधिकारों आदि के त्याग संबंधी वचन (वेवर) की कोई भी बात (i) मेरे/हमारे बयान आदि देने संबंधी दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी या (ii) मेरे/हमारे उस अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके तहत मैं/हम उस मुकदमे के पक्ष में अथवा दावे के पक्ष में या किसी दूसरी कानूनी कार्यवाही, जिसमें बोर्ड एक पार्टी न हो, के पक्ष में किसी कानून का या तथ्यों का सहारा ले सकता/सकती हूँ / ले सकते हैं ।

(10) मैं हम इन विनियमों के तहत निपटारे के सीमित/उद्देश्य से 'तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारतास्वीकारते हूँ / स्वीकारती हूँ' या 'न तो तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारतास्वीकारते हूँ / स्वीकारती हूँ/ और न ही इनसे इनकार करताकरते हूँ / करती हूँ'(जो भी लागू न हो उसे काट दें) , और इस संबंध में निपटारे के आदेश {जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 के अनुसार पारित किया जाए} तथा बोर्ड द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन (सर्कुलर) एवं परिपत्रों (गाइडलाइन्स) करने के लिएसहमत हूँ/हैं ।

(11) मैं/हम निपटारे के आदेश (जिसे पारित किया जा सकता है) में दिए हुए किसी मामले के संबंध में सेबी के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाहियाँ करने के अपने अधिकार का त्याग करता/करती हूँ / करते हैं ।

(12) मैं/हम :

- (क तथ्यों के निष्कर्षों और विधि के (निष्कर्षों का;
- (ख बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी के समक्ष (कार्यवाही का;
- (गसुनवाई के बाद की समस्त प्रक्रियाओं संबंधी अधिकार का (;
- (घसमीक्षा का / न्यायालयों के समक्ष अपील / न्यायाधिकरण (;
- (ङ विनियमों के ऐसे प्रावधानों या (दूसरे कानूनी प्रावधानों (जिसमें हितों के टकराव से संबंधित कानूनी प्रावधान भी शामिल हैं) से संबंधित किसी अर्जी का, जिनका अर्थ यह लगाया जा सकता हो कि वह सेबी के किसी सदस्य या अधिकारी को कार्यवाही (जिसमें निपटारे की कार्यवाही भी शामिल है) में शामिल होने से अथवा किसी आदेश, राय, तथ्य के निष्कर्ष, या विधि के निष्कर्ष के संबंध में, आंतरिक समिति, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की सहायता करने या को सुझाव आदि देने से रोकती है;
- (च(पूरी आंतरिक कार्यवाही या उसके किसी हिस्से के निपटारे पर विचार करने के या से संबंधित चर्चाओं के आधार पर सेबी, अधिकारियों या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के पक्षपातपूर्ण निर्णय या पूर्व निर्णय के संबंध में दी-जा सकने वाली किसी अर्जी का;

(छ) यदि आवेदक निपटारे के आदेश का उल्लंघन करता हो, तो कार्यवाही को शुरू करने या दोबारा शुरू करने के संबंध में परिसीमन (लिमिटेशन) या लैचिज़ से संबंधित किसी अर्जी का

भी त्याग करताकरते हूँ । / करती हूँ/

(13) मैं/हम निपटारे की शर्त के तौर पर यह वचन देता/देती हूँ / देते हैं कि मैं/हम, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी सेट-ऑफ, मुआवजे, बीमा कवर के जरिए किसी प्रतिपूर्ति या कर से भिन्न किसी दूसरी प्रतिपूर्ति की माँग नहीं करूँगा/करूँगी / करेंगे ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष

भाग - ग**[विनियम 3(2) देखें]**

निपटारे की रकम = बीए × (एस+आर+जी+ए-एम)		
बीए	(विनियम 11)	
एस	(विनियम 12)	
आर	(विनियम 13)	
जी	(विनियम 14)	
ए	(विनियम 15)	
एम	(विनियम 16)	
	(एस+आर+जी+ए-एम)	
एस	बीए × (एस+आर+जी+ए-एम)	
कानूनी कार्यवाहियों आदि पर हुए खर्च की रकम*		
डिस्गॉर्जमेंट की रकम (लौटाया जाने वाला पैसा)**		
कुल रकम		

*बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यवाही के सिलसिले में न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) या किसी दूसरे फोरम के समक्ष अपना पक्ष आदि रखने के संबंध में किए गए कानूनी कार्यवाहियों आदि पर हुए खर्च की रकम ।

** डिस्गॉर्जमेंट की रकम (विनियम 20 के अनुसार ब्याज की रकम के साथ) ।

अनुसूची - II

भाग-क

(विनियम 5 देखें)

फॉर्मेट

तारीख

पता

विषय: के मामले में निपटारे की सूचना (नोटिस)

..... के मामले में जाँच-पड़ताल / तहकीकात (अन्वेषण) / निरीक्षण / ऑडिट / जाँच के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पहली नज़र में ही यह पाया है कि आपने शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	चूक	किस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया गया	जुर्माने (पेनल्टी) का क्या प्रावधान है
1.			
2.			
3.			

जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके उद्धरण (संक्षेप में) संलग्न हैं ।

- उपरोक्त के मद्देनज़र, आपके खिलाफ (संबंधित प्रावधान, जिनके तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है) के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।
- इस सूचना (नोटिस) के जरिए आपको यह जानकारी दी जा रही है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम,

2026 के तहत, आप यह सूचना (नोटिस) मिलने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, उपरोक्त कार्यवाही के निपटारे (सेटलमेंट) की मांग करते हुए आवेदन कर सकते हैं। आपके आवेदन पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 के अनुसार गौर किया जाएगा। हालाँकि, ध्यान दें कि यह सूचना (नोटिस) मिलने के बाद केवल आवेदन करने भर से यह गारंटी नहीं मिलती कि आपके मामले में निपटारा हो ही जाएगा।

4. इस सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, आपके खिलाफ जो कार्यवाही शुरू किए जाने और जो आरोप (चार्ज) लगाए जाने की बात कही गई है उनमें बोर्ड यदि चाहे तो बदलाव कर सकता है, और इस सूचना (नोटिस) का कदापि यह अर्थ न निकाला जाए कि इससे आपको निपटारा किए जाने की मांग करने का कोई अधिकार मिल गया है या फिर बोर्ड द्वारा शुरू की गई या शुरू की जाने वाली किसी कार्रवाई से बचने का कोई अधिकार मिल गया है।
5. यदि निपटारा हेतु आवेदन साठ दिनों की अवधि (जिसका जिक्र ऊपर किया गया है) के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो ऐसे में बोर्ड कानूनी प्रावधानों के अनुसार आपके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू कर सकता है।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भाग-ख
(विनियम 27 देखें)

फॉर्मेट

तारीख

.....

पता

विषय: के उल्लंघन के मामले में फास्ट ट्रेक निपटारे की सूचना (नोटिस)

..... के मामले में जाँच-पड़ताल / तहकीकात (अन्वेषण) / निरीक्षण / ऑडिट / जाँच के दौरान, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने पहली नज़र में ही यह पाया है कि आपने शेयरों आदि (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	चूक	किस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन किया गया	जुर्माने (पेनल्टी) का क्या प्रावधान है
1.			
2.			
3.			

जो निष्कर्ष सामने आए हैं, उनके उद्धरण (संक्षेप में) संलग्न हैं ।

2. उपरोक्त के मद्देनज़र, आपके खिलाफ (संबंधित प्रावधान, जिनके तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है) के तहत कार्यवाही शुरू की जा सकती है ।

3. इस सूचना (नोटिस) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, आपके खिलाफ जो कार्यवाही शुरू किए जाने और जो आरोप (चार्ज) लगाए जाने की बात कही गई है उनमें बोर्ड यदि चाहे तो बदलाव कर सकता है, और इस सूचना (नोटिस) का कदापि यह अर्थ न निकाला

जाए कि इससे आपको निपटारा किए जाने की मांग करने का कोई अधिकार मिल गया है या फिर बोर्ड द्वारा शुरू की गई या शुरू की जाने वाली किसी कार्यवाई से बचने का कोई अधिकार मिल गया है ।

4. हालाँकि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 के विनियम 6 का तो पालन करना ही होगा, फिर भी उपरोक्तानुसार जो कार्यवाही शुरू की जाएगी उसका निपटारा तब किया जा सकता है जब आप, यह सूचना (नोटिस) मिलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 के अध्याय-II के तहत निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दें और फिर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट)] विनियम, 2026 के (प्रावधान) के अनुसार सेबी के यहाँ निपटारे की रकम के तौर पर रु. जमा करा दें, और साथ ही सुधारात्मक कदम उठाने और प्रावधानों आदि का पालन करने से संबंधित जिन शर्तों आदि का जिक्र नीचे किया गया है आप उनका पालन कर लें (यदि वे लागू हों तो):

(i)

(ii)(कृपया दूसरी शर्तों आदि का भी उल्लेख करें)

5. यदि निपटारे हेतु आवेदन दाखिल नहीं किया जाता है या निपटारे (सेटलमेंट) की रकम अदा नहीं की जाती है और/या सुधारात्मक कदम उठाने और प्रावधानों आदि का पालन करने से संबंधित शर्तों के संबंध में वचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत नहीं किया जाता है या बोर्ड के अनुसार संतोषजनक रूप से सुधारात्मक कदम उठाने और प्रावधानों आदि का पालन करने से संबंधित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है या निपटारे हेतु किया गया आवेदन वापस ले लिया जाता है, तो ऐसे में निर्धारित कार्यवाही शुरू की जा सकेगी, और फिर इस मामले में आपको कार्यवाही के अगले चरण में ही निपटारे हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी ।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

अनुसूची - III

(विनियम 30 देखें)

गोपनीयता का फायदा पाने के लिए आवेदन

1. गोपनीयता का फायदा पाने के लिए आवेदन उस फॉर्मेट में किया जाएगा, जो आवेदक के लिए सुविधाजनक हो और जिसमें निम्नानुसार जानकारी भी दी जाए,-
 - i. आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ कथित तौर पर की गई चूक में शामिल अन्य व्यक्तियों (जिनका पता हो) का नाम और पता;
 - ii. पत्र-व्यवहार आदि के लिए आवेदक का पता [जिसमें दूरभाष संख्याएँ (टेलीफोन नंबर) और ई-मेल आदि भी शामिल हैं];
 - iii. कथित चूक विस्तृत विवरण, जिसमें यह भी उल्लेख हो कि मकसद क्या रहा और वह मकसद हासिल करने के लिए क्या-क्या किया;
 - iv. चूक करना कब शुरू किया और कब तक जारी रखा;
 - v. आवेदक की जानकारी में जिन व्यक्तियों की मिलीभगत कथित चूक करने वाले चूककर्ताओं के साथ हो (जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी मिलीभगत आवेदक की ओर से रही हो), उन सभी व्यक्तियों के नाम, उनका ओहदा, उनके कार्यालय का पता और जहाँ कहीं भी जरूरत हो, उनके घर का पता;
 - vi. दूसरे प्राधिकरणों, फोरम या न्यायालयों (यदि कोई हों) के विवरण, जिनके यहाँ कथित तौर पर किए गए उल्लंघन के मामले में गुहार लगाई गई या गुहार लगाने का इरादा है;
 - vii. गोपनीयता का फायदा पाने के लिए आवेदन के समर्थन में दिए गए सबूत की विस्तृत सूची (जिसमें यह उल्लेख हो कि दिया गया सबूत किस तरह का है); और
 - viii. कोई दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा बोर्ड द्वारा निदेश दिया जाए ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदक (बॉडी कारपोरेट) का स्टाम्प और मुहर

सत्यापन

मैं, श्री / श्रीमती / सुश्री का पुत्र / की पुत्री /
की पत्नी (नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें) आवेदक के नाते / का प्राधिकृत प्रतिनिधि
(बॉडी कारपोरेट के मामले में) होने के नाते, एतद्वारा शपथपूर्वक यह पुष्टि करता/करती हूँ यह
आवेदन और इसमें दी गई बातें मेरी जानकारी एवं विश्वास तथा रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं,
और यह कि मैंने कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छिपाए हैं। मैं यह भी आश्वासन देता/देती हूँ
कि अगर कोई भी और जरूरी बात मेरी जानकारी में आए, तो मैं उसकी जानकारी बोर्ड को
बिना किसी देरी के दे दूंगा/दूंगी।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

2. गोपनीयता का फायदा पाने के लिए किए गए आवेदन के साथ अनुसूची-I के भाग-ख के
अनुसार वचन और अधिकारों का त्याग करने संबंधी वचन (वेवर) भी लगाने होंगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक

[ADVT.-III/4/Exty./372/2026-27]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 06th October, 2026

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT OF
ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS) REGULATIONS, 2026**

**A regulation to provide for procedure and terms of settlement of
administrative and civil proceedings, and for matters connected therewith or
incidental thereto.**

No. SEBI/LAD-DOP/ 2026/318 .-In exercise of the powers conferred by Section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Section 25 of the Depositories Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I**PRELIMINARY****Name and effective date.**

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026.

- (2) These regulations shall come into effect on the day succeeding the 30th day from the date of notification of these regulations in the Official Gazette.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall have the meanings given to them below and their related words shall derive their meaning from the terms defined hereunder, –
- (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) “alleged default” means any act or omission resulting in contravention of any provision of the securities laws attracting specified proceeding;
 - (c) “Board” means the Securities and Exchange Board of India established under Section 3 of the Act;
 - (d) “days” means English calendar days;
 - (e) “High Powered Advisory Committee” means a committee, constituted by the Board under regulation 23;
 - (f) “Internal Committee” means a committee, constituted by the Board under regulation 21;
 - (g) “Panel of Whole Time Member” means the panel of two or more Whole Time Members, constituted by the Chairman of the Board;
 - (h) “report” includes examination report, investigation report, inspection report, enquiry report, audit report or any other document containing fact finding by the Board;
 - (i) “securities laws” means the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the relevant

provisions of any other law to the extent it is administered by the Board, along with the relevant rules, regulations, master circulars, circulars, general or special orders or guidelines, made or issued thereunder;

- (j) “settlement amount” means an amount determined in terms of regulation 10 for settlement of specified proceeding;
 - (k) “settlement term” means the terms as referred to in regulation 9;
 - (l) "specified proceeding" means the proceeding that may be initiated by the Board or have been initiated and is pending before the Board; or any appeal pending before the Tribunal or the Supreme Court, for the violation of provisions of securities laws, under Section 11, Section 11B, Section 11D, Section 12(3) or Section 15-I of the Act or Section 12A or Section 23-I of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or Section 19 or Section 19H of the Depositories Act, 1996, or any statutory modification or re-enactment thereof, as the case may be;
 - (m) “stage of proceeding” is the stage at which specified proceeding is pending at the date of filing of settlement application, as referred to in regulation 12;
 - (n) "Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal established under Section 15K of the Act;
 - (o) “year” means calendar or financial year, as applicable.
- (2) Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the plural number, and words importing the plural number include the singular number.
- (3) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 or the Companies Act, 2013, or any of the rules or regulations or master

circulars or circulars, made or issued thereunder, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or master circulars or circulars or any statutory modification or re-enactment thereof, as the case may be.

CHAPTER II

GENERAL

Application for settlement.

3. (1) Subject to compliance with the requirements of these regulations, an entity may make an application proposing for settlement of specified proceeding at any stage of proceeding.
- (2) The application under sub-regulation (1) shall be filed with the Board in the Form along with the undertaking and waiver and the basis of computation of settlement amount, as specified in Part-A, Part-B and Part-C, respectively, of Schedule-I.
- (3) The application made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee of rupees twenty five thousand for natural person and rupees thirty five thousand for others, payable through the payment gateway provided for this purpose.
- (4) The facts established against the applicant or admitted in any ongoing or concluded proceeding in India or outside India, with respect to the same cause of action, under any law, shall be deemed to be admitted by the applicant in respect of the specified proceeding proposed to be settled.
- (5) The applicant shall make one application for settlement of all the specified proceedings in respect of the same cause of action.

-
- (6) An application that is not true and complete in all respects or does not meet the requirements of these regulations shall be returned to the applicant along with reasons thereof.
 - (7) The applicant whose application has been returned under sub-regulation (6) may, within fifteen days from the date of communication from the Board, submit the complete and revised application that conforms to the requirements of these regulations failing which the application shall be deemed as withdrawn.
 - (8) Where the applicant is an entity which is not a natural person, the application and undertaking and waiver shall be executed by a duly authorised person who is the person in charge of, and responsible for the conduct of the business of such entity; and the same shall bind such entity.

Limitation.

- 4. (1) An application in respect of settlement of any specified proceeding pending before the Board shall not be considered if it is made after ninety days from the date of service of the Show Cause Notice or the supplementary Show Cause Notice, whichever is later.
- (2) The provision of sub-regulation (1) shall not apply in case the application is filed when the specified proceeding is pending before the Tribunal or the Supreme Court.
- (3) Settlement application for settlement of specified proceeding pending as on the date of commencement of these regulations, shall be filed within a period of ninety days from the date of commencement of these regulations if the settlement application for settlement of such specified proceeding was previously, either not

filed, or if filed, rejected, returned or withdrawn under the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.

- (4) Settlement amount for application referred in sub-regulation (3) shall be twenty percent more than the settlement amount calculated in terms of regulation 10.

Settlement Notice.

5. (1) A notice of settlement in the format as specified in Part-A of Schedule II, indicating the substance of the probable charges and enforcement actions, shall be issued by the Board prior to issuance of Show Cause Notice so as to afford the entity an opportunity to file a settlement application under Chapter-II, within sixty days from the receipt of such notice.
- (2) The provision of sub-regulation (1) shall not apply in case where issuance of interim directions or prosecution is contemplated or for cases which are covered under regulation 27.
- (3) The Board shall have the right to modify the nature of the enforcement action to be initiated against the entity or the probable charges stated in the notice referred to in the sub-regulation (1) and such notice shall not confer any right to seek settlement on the basis of probable charge and enforcement action contained in such notice or avoid any enforcement action due to modification of probable charge or enforcement action.

CHAPTER III

SCOPE OF SETTLEMENT

Scope of settlement proceeding.

6. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the following specified proceedings shall not be settled, namely:-

- (i) where the settlement application for the same alleged default has been previously rejected under these regulations except where the application is covered under regulation 4(3) or regulation 7(4);
- (ii) where the examination, investigation, inspection, or audit, if any, in respect of any cause of action, is pending except in case of settlement application involving confidentiality;
- (iii) where the applicant is a wilful defaulter, fraudulent borrower or a fugitive economic offender.

Explanation: (a) Wilful defaulter or fraudulent borrower means a person or an issuer who or which is categorized as a wilful defaulter or a fraudulent borrower by any bank or financial institution, as defined under section 2(39) of the Companies Act, 2013, or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters or fraudulent borrowers issued by the Reserve Bank of India.

(b) Fugitive economic offender has the same meaning as given under Section 2(1)(f) of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.

- (2) Subject to the provision of regulation 18(2), specified proceeding may not be settled if the alleged default, -
 - (a) has market wide impact, or
 - (b) caused losses to a large number of investors, or
 - (c) affected the integrity of the market.
- (3) Nothing contained in these regulations shall be construed to restrict the right of the Panel of Whole Time Member to accept or reject any application in respect of any specified proceeding, in the interest of investors or for the development and

regulation of the securities market, with or without examination by the Internal Committee or the High Powered Advisory Committee.

Rejection and withdrawal of application.

7. (1) An application may also be rejected on the following grounds, namely: -
- (a) where the applicant does not receive or respond to the communications issued by the Board;
 - (b) where the applicant does not submit or submits with delay the information, document, revised settlement term, etc., as called for by the Board;
 - (c) where the applicant who is required to appear, does not appear before the Internal Committee on more than one occasion;
 - (d) where the applicant violates or does not abide by, in any manner, with the undertaking and waivers provided under these regulations;
 - (e) where the applicant does not remit the settlement amount within the period specified in these regulations;
 - (f) where the applicant fails to comply with any of the conditions imposed for settlement within the time as required or does not comply with the Remedial and Regulatory Term imposed for settlement.
- (2) The rejection under sub-regulation (1) shall be communicated to the applicant.
- (3) An application may be withdrawn at any time prior to the communication of the decision of the Panel of Whole Time Member, accepting or rejecting the settlement application.
- (4) Settlement application once rejected shall only be filed at subsequent 'stage of proceeding' as defined under regulation 2(1)(m), if the reason for earlier rejection

no longer applies and such refiling shall be subject to payment of twenty percent additional settlement amount.

- (5) Settlement application once withdrawn under sub-regulation (3) or under regulation 3(7), may be filed at the same or a subsequent stage of the proceeding and such refiling shall be subject to payment of twenty percent additional settlement amount.
- (6) The rejection or withdrawal of the application shall not affect the continued validity of the undertakings and waivers given in respect of limitation or laches and the waivers given in Part-B of the Schedule-I and the Board or the applicant, shall be free to initiate or pursue such proceeding as may be appropriate in accordance with the law.

Effect of pending application on specified proceeding.

8. (1) In a specified proceeding where settlement application has been filed after issuance of Show Cause Notice, the said proceeding shall continue and the passing of the final order shall be kept in abeyance till the disposal or withdrawal of the settlement application.
- (2) In a specified proceeding where the settlement application has been filed before issuance of Show Cause Notice, the issuance of said Show Cause Notice shall be kept in abeyance till the application is either disposed of or withdrawn.
- (3) Filing of a settlement application shall not restrict the power of the Board to issue interim civil and administrative directions to protect the interests of investors and to maintain the integrity of the securities market.
- (4) Where the settlement application is filed by some entities only, the filing of such an application shall not affect the initiation, continuation and disposal of the

enforcement proceeding against the other entities who have not filed the application for settlement and any adverse observations made in such proceeding against the entity filing the settlement application shall *qua* such entity be subject to the outcome of the settlement application filed by such entity.

CHAPTER IV

TERMS OF SETTLEMENT

Settlement Term.

9. (1) The settlement term shall include the following, as may be applicable, namely:-
 - (i) settlement amount as referred to in regulation 10;
 - (ii) disgorgement of wrongful gains made or loss averted or loss caused to investors, as alleged in the report or the Show Cause Notice or determined in the order; and
 - (iii) Remedial and Regulatory Term as referred to in regulation 17 in proceeding other than the proceeding solely for imposition of penalty.
- (2) In case of joint and several liabilities, disgorgement of wrongful gains made or loss averted or loss caused to investors, along with interest, shall be payable by all such applicants who are seeking settlement, either jointly or severally.
- (3) Irrespective of the nature of the specified proceeding, disclosures, as applicable, shall form part of settlement term.
- (4) Settlement term shall apply to the person who has made the application for settlement of specified proceeding.
- (5) The settlement amount shall be credited to the Consolidated Fund of India.

- (6) The application fee referred to in regulation 3(3) and the legal costs, if any, forming part of the settlement amount shall be credited to the General Fund of Securities and Exchange Board of India as constituted under Section 14 of the Act or any statutory modification or re-enactment thereof.

Explanation. – Legal costs shall include liquidated costs, as may be determined by the Board, in respect of costs for obtaining appropriate orders from the Tribunal or any forum and include other expenses incurred by the Board in any other proceeding before Tribunal or any forum in respect of such application.

- (7) The amount disgorged along with applicable interest as part of the settlement terms shall be credited to the Investor Protection and Education Fund as referred in Section 11(5) of the Act or any statutory modification or re-enactment thereof.

Settlement Amount.

10. (1) The settlement amount shall be calculated as per the following formula:

$$\text{Settlement Amount (SA)} = \text{BA} \times (\text{S} + \text{R} + \text{G} + \text{A} - \text{M})$$

Where,

‘BA’ = Base Amount under regulation 11;

‘S’ = Stage of Proceeding under regulation 12;

‘R’ = Regulatory Action Factor under regulation 13;

‘G’ = Gravity Factor under regulation 14;

‘A’ = Aggravating Factors under regulation 15;

‘M’ = Mitigating Factors under regulation 16.

- (2) If net sum of (S + R + G + A - M) is less than one, it shall be taken as one.
- (3) The settlement amount shall not be less than rupees three lakh for first time applicant or rupees seven lakh for others, as the case may be.

Explanation. -A 'first time applicant' is a person against whom no adverse order has been passed by the adjudicating officer or by the Board, and who has never obtained a settlement order from the Board as on the date of the filing of present application.

- (4) Settlement amount shall be calculated for each applicant separately and the same may be paid individually or jointly.
- (5) Settlement amount, where applicable, shall include legal costs incurred by the Board.
- (6) Twenty percent additional settlement amount shall be payable where settlement is in respect of specified proceeding under Section 12(3) of the Act alongwith any other specified proceeding, arising from the same cause of action.
- (7) In cases where the settlement amount cannot be determined in accordance with regulations 10 to 16, due to the peculiar nature of the alleged default or the facts and circumstances of the case, Panel of Whole Time Member may decide the settlement amount, as deemed fit.

Base Amount (BA).

11. (1) Base amount shall be the minimum penalty amount applicable as provided under the Act, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Depositories Act, 1996, multiplied by the multipliers applicable as per the type of the applicant, as provided in the Table below:

Type of Applicant	Multiplier
Independent Director	2
Non-executive Director	3
Executive Director or Promoter in control or Key Managerial Person	3.5

Other Natural Person	2.5
Body corporate, Intermediaries, Pooled Investment Vehicles and others	4
Market Infrastructure Institution	5.5

- (2) For the case attracting various violations of the provisions of the securities laws, the base amount shall be calculated having regard to the following:
- (i) base amount shall be calculated for each count of the alleged default and then aggregated;
 - (ii) where a single alleged default attracts multiple violations of securities laws and consequently attracts multiple base amounts, higher of such base amounts shall be considered;
 - (iii) where different alleged defaults attract different base amounts [calculated as per clause (i)], then base amount shall be the sum of all the base amounts applicable for each of such defaults;
 - (iv) if any of the person is lead conspirator who is alleged as mastermind or key-operator in the report or in the Show Cause Notice or determined in the order, then the base amount of such person, determined as above, shall be doubled;
 - (v) the base amount for independent director shall be taken at par with executive director, if as per the report or the Show Cause Notice, the independent director is alleged to be beneficiary of the fraud or has actively participated in the alleged fraud or determined as such in the order.
- (3) The base amount shall not be less than the penalty already imposed for the default for which settlement is being sought.

- (4) The base amount shall be calculated based on the alleged default in the report or the Show Cause Notice or the order.
- (5) Where the order is under challenge before the Tribunal or the Supreme Court, the base amount shall be calculated on the basis of allegations upheld in the order impugned before the Tribunal or the Supreme Court, as the case may be.
- (6) Where the Board has preferred an appeal before the Supreme Court against the relief provided by the Tribunal, then fifty percent of the Base Amount for each count of such defaults which were not upheld by the Tribunal shall also be considered.
- (7) In a specified proceeding, if the same or similar nature of default is alleged to have been committed by a person more than once, then the base amount shall be calculated for each count of such default.
- (8) The following instances shall be treated as one count of default for calculating base amount:-
 - a. Insider trading arising out of a particular unpublished price sensitive information (UPSI) irrespective of number of trades executed by the applicant in one UPSI period with respect to that UPSI;
 - b. Communication made by a person of a particular unpublished price sensitive information (UPSI) to a number of persons, in one UPSI period with respect to that UPSI;
 - c. Front running of the trades of a particular Big Client irrespective of number of trades front run by the applicant during the investigation period;
 - d. Number of false, wrong, misleading disclosures made or failed to make required disclosures, in a statement in a calendar year or financial year, as applicable under the securities laws;

- e. Number of orders placed or trades executed for manipulating price or volume in a scrip;
 - f. Failed to make entry in structured digital database with respect to a particular UPSI irrespective of numbers of persons whose entries were not made;
 - g. Failed to comply with open offer obligation arising under the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 in respect of the same target company in a year;
 - h. Number of offers made in a financial year in violation of deemed public issue norms under Section 25 and/or Section 42 of the Companies Act, 2013;
 - i. Any other defaults which having regard to the facts and circumstances of the case, in the opinion of Panel of Whole Time Member, needs to be treated as one default.
- (9) If in a particular case, Panel of Whole Time Member is of the opinion that number of defaults are higher or lower, then it may reduce or increase the number of defaults to an extent as deemed fit.

Stage of Proceeding Factor (S).

12. (1) The value assigned on the basis of the stage of the enforcement proceeding, as on the date of filing of settlement application, shall be the stage of proceeding factor.
- (2) Stage of proceeding factor shall be determined as per the following table, namely:-

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE SETTLEMENT APPLICATION IS FILED			VALUE OF 'S'
a.	Voluntary	<i>Suo Motu</i>	0.20

		Before issue of Show Cause Notice	0.40
b.	Post issue of Show Cause Notice		0.60
c.	Pending before Designated Member in case of Enquiry proceeding under Section 12(3) of the Act; Pending before the Board under Section 15I(3) of the Act, or Section 23I(3) of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or Section 19H(3) of Depositories Act, 1996		0.80
d.	Pending before the Tribunal		1.00
e.	Pending before the Supreme Court		1.50

- (3) Where multiple enforcement proceedings arising out of the same cause of action are sought to be settled, the value of the enforcement proceeding which is at the most advanced stage, shall be taken as the stage of proceeding factor.

Regulatory Action Factor (R).

13. (1) The sum of all the values assigned to the administrative warning or order issued against the applicant shall be regulatory action factor.
- (2) Regulatory action factor shall be determined as per the following table, namely:-

ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED TO THE APPLICANT	VALUE PER ORDER OF 'R'
No prior order passed	0
Administrative Warning issued	0.10 per Administrative Warning
Settlement Order passed	0.20 per Settlement Order
Adverse order passed (in adjudication proceeding, proceeding for directions and disciplinary proceeding)	0.30 per Order

- (3) Regulatory action factor shall also include and assign values, as per above Table, to those orders which have been stayed by the Tribunal or the Court.

Gravity Factor (G).

14. (1) A gravity factor of "0.25", for reputation risk, shall be added in all settlement applications which are without admitting violation of securities laws.
- (2) The following gravity factors shall additionally be added in all settlement applications, where applicable, namely: -

Nature of Violation		Base Value
1.	Failure to make open offer under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011	0.25

2.	Offer documents related violations (without allegation of violation of SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003)	0.50
3.	Violations of regulations 3 and 4 of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015	0.50
4.	Violations of SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003	1.50

Aggravating Factors (A).

15. The following aggravating factors, where applicable, with a base value of '0.20' for each of them, subject to a maximum of five aggravating factors, shall be applied while calculating the settlement amount:

- (i) Efforts to frustrate or prolong an examination, investigation, inspection, audit or a civil and administrative proceeding, including settlement proceeding;
- (ii) Providing inaccurate or misleading testimony or information or failing to provide information that applicant was bound to provide;
- (iii) Misconduct over an extended period of time which is not less than thirty days;
- (iv) Significant monetary loss to the clients which exceeds, in the aggregate, rupees five crores;
- (v) Applicant failing to heed prior regulatory guidance and prior warnings;
- (vi) Evidence of planning, pre-meditation or sophisticated means.

Explanation: Conducting default across different jurisdictions, hiding assets or transactions, or both, through the use of fictitious entities, corporate shells or offshore financial accounts ordinarily indicates sophisticated means;

- (vii) A listed intermediary or Securities Market Infrastructure Institution was substantially jeopardized.

Explanation. - A listed intermediary or Securities Market Infrastructure Institution shall be deemed to have been substantially jeopardized if as a result of the alleged default:

- a. it has become insolvent or an application under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 was admitted;
- b. it was unable on demand to refund fully any public deposit, payment or investment; or
- c. it is so depleted of assets that it is forced to merge with another institution in order to continue active operations.

- (viii) Omission or act of Market Infrastructure Institution was such that the functioning of such Market Infrastructure Institution or other Market Infrastructure Institution was substantially jeopardized.

Explanation: Functioning of a Market Infrastructure Institution shall be deemed to have been substantially jeopardized if it was rendered incapable of performing the functions for which it has been established, beyond one hour fifteen minutes;

- (ix) The liquidity of the securities of a publicly traded company being substantially endangered i.e. it was delisted or trading of the company's securities was halted for more than one full trading day;

- (x) The applicant abusing a position of trust or used a special skill, in such a manner that significantly facilitated the commission or concealment of the alleged default.

Explanation 1. - This factor applies if the applicant occupied and abused a position of trust.

Explanation 2. - This factor applies if the applicant's position involved regular participation or professional assistance in creating, issuing, buying, selling, or trading securities or products was used to facilitate significantly the commission or concealment of the default. It does not apply to clerical staff in an organisation; as such position ordinarily does not involve special skill.

Explanation 3. - 'Special skill' refers to a skill not possessed by member of the general public and requires professional education, training or licensing, e.g. chartered accountant, advocate, auditor, compliance officer, etc.

Explanation 4. - This factor also applies where the applicant has represented himself to hold a position of trust when, in fact, applicant does not;

- (xi) The applicant being the key-operator, whether or not the applicant traded.

Explanation 1. - A person is a key-operator if that person was an organizer or leader of an illegal activity or the main beneficiary of the default.

Explanation 2. - If a person is merely a manager or supervisor (but not an organizer or leader or the main beneficiary) then that person is not a key-operator.

Explanation 3. - The Panel of Whole Time Member may take into account factors such as share of profits, the recruitment of accomplices, the degree of control and authority exercised over others;

- (xii) Exercising management control by use of fraudulent or forged securities or securities issued without appropriate approvals;
- (xiii) The action is not in accordance with the applicable internal procedures;
- (xiv) The applicant taking decisions relating to the violation beyond his field of competence;
- (xv) The applicant benefiting financially from the violation, either directly or indirectly;
- (xvi) The alleged default being repetitive under a single count;
- (xvii) The body corporate or the responsible person, being aware of a risk that their actions or inaction may amount to reckless actions or inaction or could result in a violation of securities laws and failing adequately to mitigate that risk.

Explanation. – The following shall be deemed to be reckless, -

- a. failure to appoint competent officials for discharge of their duties, including a compliance officer;
 - b. failure to put in place adequate systemic safeguards; or
 - c. failure to put in place a code of conduct;
- (xviii) Search and seizure being conducted by the Board in the matter;
 - (xix) Any other factor deemed fit in the facts and circumstances of the case.

Mitigating Factors (M).

16. The Panel of Whole Time Member shall take into account the following mitigating factors, where applicable, with a base value of '0.20' for each of them, subject to a maximum limit of five mitigating factors, namely: -

- (i) The settlement amount would affect the ability of the applicant to make restitution to investors;

- (ii) The applicant had minimal participation in the alleged default;
- (iii) Proactive and exceptional cooperation, including:
 - a. Prompt and detailed self-identification of suspected or uncovered misconduct;
 - b. Early self-identification of contraventions followed by thorough internal reviews and sharing of discovered facts;
 - c. Substantial assistance to an examination, investigation, inspection or audit by obtaining and providing evidence;
- (iv) Acceptance of responsibility and acknowledgement of misconduct to the Board prior to detection and intervention by truthfully admitting the conduct;
- (v) Employing subsequent substantial corrective measures to avoid recurrence of misconduct;
- (vi) The delay in complying with the reporting requirement was less than 7 days and non-reporting did not result in undue gains or loss to any person;
- (vii) Acts of compensation, disgorgement of commission, profits etc. and payment of restitution to investors;
- (viii) Disclosure made in the incorrect format;
- (ix) Applicant is a unit of governmental authority including a public-sector unit;
- (x) In non-disclosure (including incorrect or incomplete disclosure) matters, applicant has made related disclosure under any other regulation or is a body corporate with paid-up equity share capital (including reserves) below Rupees Ten crores (not applicable to companies which are exclusively holding companies);

- (xi) Persons who are indigent or undergoing liquidation or bankruptcy process or whose resolution or repayment plan has been submitted to the adjudicating authority for approval;
- (xii) There being change in control or management of corporate entity since committing of violation;
- (xiii) Applicant was an independent director at the time of the alleged default and did not benefit out of the alleged default;
- (xiv) Any other factor deemed fit in the facts and circumstances of the case.

Remedial and Regulatory Term.

17. (1) The Remedial and Regulatory Term may include one or more of the following, namely: -
- (i) Implementation of enhanced procedures and policies to prevent future securities laws violations as well as agreeing to appoint or engage an independent consultant to review internal policies, processes and procedures;
 - (ii) Providing enhanced training and education to employees of intermediaries and securities market infrastructure institutions;
 - (iii) Agreeing to submit to enhanced internal audit and reporting requirements;
 - (iv) Suspension or cessation of business activities for a specified period subject to clause (xi);
 - (v) Exit from Management;
 - (vi) Clawback of the benefits received by the applicant, for services rendered in violation of securities laws;
 - (vii) Refund of money received in contravention of provisions of securities laws;

- (viii) Refraining from acting as a partner or officer or director of an intermediary or as an officer or director of a company that has a class of securities regulated by the Board, for specified periods;
 - (ix) Cancelling securities where the securities are issued fraudulently, including bonus shares received on such securities, if any, and recovery of any dividend paid, etc.;
 - (x) Lock-in of securities;
 - (xi) Voluntary debarment or suspension, refraining from accessing the securities market including prohibition from buying, selling or otherwise dealing in securities, directly or indirectly and associating with the securities market in any manner for a specific period, when:
 - a. the seriousness and gravity of the violation is very high;
 - b. the applicant is a key-operator or leader of an illegal activity or the main beneficiary of the alleged default; or
 - c. the applicant is a serial defaulter;
 - (xii) Disclosures wherever specified in terms of securities laws under a specified proceeding;
 - (xiii) Any other term which may be deemed appropriate in the facts and circumstances of the case.
- (2) In case of specified proceeding other than the proceeding solely for imposition of penalty:
- i. Where the alleged violations have impacted the audited financial statements and continue to impact every subsequent financial statements, the applicant shall be required to make an appropriate disclosure on the stock exchange and also incorporate them in the explanatory notes to the upcoming ~~annual~~

- financial statements forming part of the annual report, as part of the settlement terms;
- ii. Where the alleged violation has impacted the audited financial statements, but is not a continuing violation that continues to impact subsequent audited financial statements, the applicant shall be required to make appropriate disclosures on the stock exchange for each relevant previous years or period, as a part of the settlement terms;
 - iii. Under clauses (i) and (ii), if the alleged violation needs to be brought to the notice of the public, the applicant shall make appropriate disclosures;
 - iv. Where the violations do not impact the audited financial statements and are not continuing violations, the applicant may be required to make disclosures or follow other conditions, as part of the settlement term;
 - v. Where there are allegations of diversion or siphoning off of funds, the applicant shall be required to bring back the diverted or siphoned off money to the company, along with interest from the date of the contravention till the date of filing the settlement application, as part of the settlement term;
 - vi. Where there are allegations of diversion or siphoning off of funds, any unfair trading or illegal gains or losses averted by the applicant, by trading in the securities market during the time of mis-statement of financial or siphoning off of money, as brought out in the report or the Show Cause Notice or the order, may be considered while deciding the settlement term;
 - vii. Where there are allegations of diversion or siphoning off of funds, and the applicant is willing to bring back all the diverted or siphoned off money along with interest as part of settlement term, the said diversion or siphoning off of

the money shall not be an impediment to settle the matter for the reasons that the said diversion or siphoning off, caused loss to the investors.

- (3) In cases where sub-regulation 2(i) and 2(ii) apply, the applicant shall have the option of stating in its disclosure and the explanatory notes that it is making the disclosure without admission or denial of the findings of fact and conclusions of law, as part of the settlement term.

Factors to be considered to arrive at Remedial and Regulatory Term.

18. (1) While arriving at Remedial and Regulatory Term under regulation 17, factors enumerated herein but not limited thereto, may be considered, namely:-
- (a) conduct of the applicant during the specified proceeding, examination, investigation, inspection, or audit;
 - (b) the role played by the applicant in case the alleged default is committed by a group of persons;
 - (c) nature, gravity and impact of alleged defaults;
 - (d) market wide impact of the default;
 - (e) effect on the integrity of the market;
 - (f) the extent of harm or loss caused to the number of investors' or gains made by the applicant;
 - (g) whether any other proceeding against the applicant for violation of securities laws is pending or concluded;
 - (h) processes and measures that have been introduced since the alleged default to minimize future defaults or lapses;
 - (i) compliance schedule proposed by the applicant;

- (j) economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliance;
 - (k) conditions which are necessary to deter future non-compliance by the same or another person;
 - (l) satisfaction of claim of investors regarding payment of money due to them or delivery of securities to them;
 - (m) any other factor which is deemed fit in the facts and circumstances of the case.
- (2) If factors listed at sub-regulations (1)(d), (1)(e) and (1)(f) could be adequately remedied by imposing monetary and Remedial and Regulatory Term including imposition of higher settlement amount on the applicant, the settlement of such defaults may be considered.
- (3) The modification of the allegation may be sought in case the Panel of Whole Time Member, is of the opinion that the facts disclose a different default.
- (4) The alleged defaults shall, where applicable, be categorised based on the facts and circumstances by the Panel of Whole Time Member.

Settlement amount in case of grant of confidentiality.

19. In case of grant of confidentiality by the Board, the settlement amount arrived at in accordance with these regulations shall, be reduced as follows, -

- (i) those marked first in priority status may be granted reduction of up to or equal to ninety percent of the settlement amount;
- (ii) those marked second in priority status may be granted reduction of upto or equal to fifty percent of the settlement amount; and

- (iii) those marked third or subsequent in the priority status may be granted reduction upto or equal to twenty-five percent of the settlement amount.

Interest.

20. (1) In a specified proceeding where the applicant is liable to pay any amount including disgorgement of wrongful gains made or loss averted or loss caused to investors, the same shall be paid along with interest, as under, namely:-
- (i) if no final order is passed by the Board, at the rate of nine percent per annum from the date of transaction till the date of filing of settlement application; or
 - (ii) if final order is passed by the Board, at the rate of nine percent per annum from the date of transaction till the date of passing of final order and thereafter, at the rate of twelve percent per annum till the date of filing of settlement application.
- (2) Interest on the said amount shall be charged from the date of individual violation or transaction till the date of filing of settlement application.
- (3) Interest shall only be charged on the principal amount liable to be paid by an applicant and no interest shall be charged on unpaid interest amount.

CHAPTER V**CONSTITUTION, PROCEDURES AND POWERS OF COMMITTEES AND PANEL
OF WHOLE TIME MEMBER****Internal committee.**

21. (1) The Board shall constitute Internal Committee comprising its officials.

- (2) The Internal Committee shall comprise one officer of the Board of the rank of Chief General Manager and such other officers as may be specified by the Board.
- (3) The Board may constitute as many numbers of Internal Committees as are required for the purposes of these regulations.

Proceeding before the Internal Committee.

22. (1) Save as otherwise provided in these regulations, an application shall be referred to an Internal Committee to examine whether the specified proceeding may be settled and if so to determine the settlement term in accordance with these regulations.

(2) The Internal Committee while recommending settlement term may take into consideration various powers or discretion given to the Panel of Whole Time Member in these regulations.

(3) The applicant shall be provided an opportunity of meeting with the Internal Committee, which can be attended by the applicant himself or through a duly authorized representative of the applicant.

Explanation. - Meeting includes virtual meeting through audio-video electronic means.

(4) The Internal Committee may adjourn a meeting scheduled before it or may recall applicant for another meeting before it.

(5) The Internal Committee may:

- (a) call for relevant information; documents, etc., pertaining to the alleged default in possession of the applicant or obtainable by the applicant;
- (b) call for the personal appearance of the applicant before it.

Explanation. - Personal appearance under this clause includes appearance through audio-video electronic means;

- (c) ascertain market wide impact of the default, loss caused to investors as a result of the default or effect of default on the integrity of the market.
 - (d) satisfy itself as to, -
 - (i) whether the applicant has refunded or disgorged the monies due, to the satisfaction of the Board;
 - (ii) whether the applicant has provided an exit or purchase option to investors in compliance with securities laws, to the satisfaction of the Board;
 - (iii) whether the applicant is in compliance with securities laws or any order or direction passed under securities laws, to the satisfaction of the Board;
 - (iv) any other factor as may be deemed appropriate by the Internal Committee;
 - (e) permit the applicant to submit revised settlement term in accordance with the discussion held in the meeting with Internal Committee, within a period not exceeding twenty-one days from the date of the Internal Committee meeting;
 - (f) require that the settlement amount shall be paid by Asset Management Company or the investment manager, as the case may be, in case settlement application is made by a Pooled Investment Vehicle settling alleged defaults against it.
- (6) Save as otherwise provided under these regulations, the term proposed by the applicant after Internal Committee meeting along with the recommendation of the Internal Committee thereon, shall be placed before the High Powered Advisory Committee.

High Powered Advisory Committee.

23. (1) The Board shall constitute a High Powered Advisory Committee for consideration and recommendation on the term of settlement proposed by the applicant and the recommendation made thereon by the Internal Committee.
- (2) The High Powered Advisory Committee while recommending settlement term may take into consideration various powers or discretion given to the Panel of Whole Time Member in these regulations.
- (3) The High Powered Advisory Committee shall consist of a Judicial member who has been the Judge of the Supreme Court or a High Court and three external experts having expertise in securities market or in matters connected therewith or incidental thereto.
- (4) The term of the members of the High Powered Advisory Committee shall be three years which may be extended for a further period of three years.
- (5) The quorum for a meeting of the High Powered Advisory Committee shall be of three members.
- Explanation. - Meeting includes meeting through audio-video electronic means.
- (6) The recommendation of the High Powered Advisory Committee shall be made on the basis of decision of the majority of the members.
- (7) In case there is no consensus or majority, the recommendation made by the Judicial Member shall be the recommendation of the High Powered Advisory Committee.
- (8) In case of recusal by the Judicial member, the recommendation by the majority of the remaining members shall be the recommendation of High Powered Advisory Committee.

- (9) The High Powered Advisory Committee shall conduct its meetings in the manner specified by the Board in this regard.
- (10) Where any member of the High Powered Advisory Committee seeks recusal, the remaining members may submit their recommendation on the term of settlement.
- (11) Where all or all but one of the members of the High Powered Advisory Committee recuse themselves in respect of an application, the Board may constitute another High Powered Advisory Committee for such matter.

Proceeding before the High Powered Advisory Committee.

24. (1) The High Powered Advisory Committee shall consider the proposed settlement term and recommendation of Internal Committee, placed before it along with the following:
- (a) the application, undertaking and waivers of the applicant;
 - (b) factors specified in regulation 18;
 - (c) settlement term or revised settlement term as proposed by the applicant;
 - (d) any other relevant material available on record.
- (2) The High Powered Advisory Committee may seek revision of the settlement term and refer the application back to the Internal Committee.
- (3) After considering the material mentioned in sub-regulation (1), the High Powered Advisory Committee shall make its recommendation regarding acceptance or modification or rejection of settlement term.
- (4) The recommendations of the High Powered Advisory Committee shall be placed before the Panel of Whole Time Member.

Proceeding before the Panel of Whole Time Member.

25. (1) The Panel of Whole Time Member shall consider the recommendations of the High Powered Advisory Committee or the Internal Committee in cases covered under regulation 28 and may accept or reject the same.
- (2) Where the recommendations of the High Powered Advisory Committee or the Internal Committee to settle the specified proceeding are not accepted by the Panel of Whole Time Member, then-
- (a) the Panel of Whole Time Member may return the application for re-examination of the settlement term and thereafter the procedure as applicable in the case of an original application shall be followed by the Internal Committee and the High Powered Advisory Committee; or
 - (b) the Panel of Whole Time Member may not accept the recommendation by recording the reasons for such non-acceptance and such decision of the Panel of Whole Time Member alongwith the reasons for such non-acceptance, shall be communicated to the applicant.
- (3) Where the Panel of Whole Time Member accepts the recommendation of the High Powered Advisory Committee to settle the specified proceeding, the applicant shall be issued a notice of demand within ten days of the decision of the Panel of Whole Time Member and the applicant shall, -
- (a) remit the settlement amount forming part of the settlement term, not later than thirty days from the date of receipt of the notice of demand, only through the dedicated payment gateway provided for the purpose by the Board;
 - (b) fulfil or undertake in writing to abide by, the other settlement term, if any, within the time provided to the applicant;

- (c) comply with any other condition forming part of the settlement term within the time given in this regard to the applicant.
- (4) Nothing contained in these regulations shall restrict the power of the Panel of Whole Time Member to accept or reject an application, or decide an amount, lower or higher than the amount arrived at in terms of these regulations, for reasons to be recorded, considering the facts and circumstances of the case and the gravity of the charges.

CHAPTER VI

FAST TRACK SETTLEMENT

Fast track settlement.

- 26. (1) The settlement proceeding under this chapter may be called fast track settlement.
- (2) Fast track settlement shall be of two types:
 - (i) violation based fast track settlement; and
 - (ii) monetary threshold based fast track settlement.
- (3) Save as otherwise provided, nothing contained in regulations 23 and 24 shall apply to the settlement of specified proceeding under this Chapter.

Violation based fast track settlement.

- 27. (1) The Board may, before initiating any specified proceeding, issue a notice of fast track settlement in the format as specified in Part-B of Schedule-II, calling upon the entity to file a settlement application under Chapter- II and submit the settlement amount and either comply with or furnish an undertaking to comply

with Remedial and Regulatory Term, as may be specified in the fast track settlement notice for the following defaults,-

- i. Delayed disclosures, including filing of returns, report, document, etc.;
 - ii. Non-disclosure in relation to companies exclusively listed on regional stock exchanges which have exited;
 - iii. Disclosures not made in the specified formats;
 - iv. Delayed compliance of any of the requirements of law or directions issued by the Board;
 - v. Such other defaults as may be determined by the Board.
- (2) The Board may not issue a fast track settlement notice under sub-regulation (1), if in the opinion of the Board, the entity has failed to make a full and true disclosure of facts or failed to co-operate in the required manner.
- (3) Nothing contained in the notice of fast track settlement shall restrict the power of the Board to modify the enforcement action to be brought against the entity and the notice of settlement shall not confer any right upon the entity to seek settlement or avoid any enforcement action.
- (4) The entity to whom a notice under sub-regulation (1) has been issued may, within thirty days from the date of receipt of the notice of fast track settlement, -
- (a) file an application to the Board in the Form proposing for settlement of specified proceeding along with the undertaking and waiver and the basis of computation of settlement amount, as specified in Part-A, Part-B and Part- C, respectively, of Schedule-I.
 - (b) remit the settlement amount as specified in the notice of fast track settlement;

- (c) comply or undertake to comply with Remedial and Regulatory Term as specified in the notice of fast track settlement, as the case may be;
 - (d) seek rectification, if any, of the calculation of the settlement amount, as communicated in the notice of fast track settlement, at the time of filing the settlement application and make payment within thirty days from the date of receipt of the decision of the Board.
- (5) Where rectification of the calculation of settlement amount is sought by the entity, the decision of the Board on such calculation shall be final.
- (6) The Board may for reasons to be recorded, grant extension of time not exceeding a further period of fifteen days for filing the settlement application or for remittance of the settlement amount or furnishing an undertaking in respect of any of the Remedial and Regulatory Term or compliance with any of the Remedial and Regulatory Term specified in the notice of fast track settlement.
- (7) Upon being satisfied with the remittance of settlement amount and undertaking furnished in respect of the Remedial and Regulatory Term or compliance with Remedial and Regulatory Term, if any as detailed in the settlement notice, the Board shall pass an order of settlement under regulation 34.

Monetary threshold based fast track settlement.

28. (1) While considering an application for settlement in accordance with regulation 22, if Internal Committee is of the opinion that settlement amount calculated under these regulations is upto ten lakh rupees and no disgorgement or Remedial and Regulatory Term are applicable, the Internal Committee shall call upon the applicant to take steps in terms of regulation 22(5)(e).

- (2) Upon receipt of revised settlement term, the application shall be placed before Panel of Whole Time Member and thereafter the procedure as specified in regulation 25 and 34 shall apply *mutatis mutandis*.

Consequence of failure to avail fast track settlement.

29. If an entity,-

- (i) does not file a settlement application under regulation 27;
- (ii) does not remit the settlement amount within time specified in the notice given under regulation 27;
- (iii) fails to make the payment of settlement amount or does not file revised settlement terms as referred in regulation 28,

the specified proceeding may be initiated or continued against such entity, and such an entity shall only be permitted to file a settlement application at the subsequent stage of proceedings.

CHAPTER VII

SETTLEMENT WITH CONFIDENTIALITY

Settlement with confidentiality.

30. (1) The Board may grant, to a person who agrees to provide substantial assistance in the examination, investigation, inspection, or audit, initiated or to be initiated, against any person in respect of a violation of securities laws, benefit of confidentiality in return for admitting default for the limited purpose of settlement of specified proceedings to be initiated.

- (2) An applicant seeking the benefit provided under sub-regulation (1), shall fulfil the conditions of this Chapter, including –
- (a) cease to participate in the violation of securities laws from the time of the disclosure of information, unless otherwise directed by the Board;
 - (b) provide and continue to provide complete and true disclosure of information, documents and evidence, which is in possession of the applicant or which the applicant is able to obtain, to the satisfaction of the Board in respect of the alleged contravention of the provisions of securities laws;
 - (c) co-operate fully, continuously and expeditiously throughout the examination, investigation, inspection, or audit and related proceeding before the Board; and
 - (d) not conceal, destroy, manipulate or remove the relevant documents in any manner that may contribute to the establishment of the alleged violation.
- Explanation. – Violation of securities laws in this Chapter refers to defaults other than those of disclosure and reporting requirements.
- (3) An application under this Chapter shall be made only in cases prior to or pending an examination, investigation, inspection, or audit.
- (4) Irrespective of anything contained in this Chapter, where an applicant fails to comply with the conditions mentioned in this regulation, the Board may rely upon the information and evidence submitted by the applicant in any proceeding.
- (5) In addition to restrictions or conditions mentioned in sub-regulations (1), (2) and (3), the Board may subject the applicant to further restrictions or conditions, as deemed fit, after considering the facts and circumstances of the case.
- (6) For the purpose of seeking confidentiality, the applicant or its authorized representative may make an application containing all the relevant disclosures

pertaining to the information as specified in Schedule-III for furnishing the information and evidence relating to the commission of any violation of securities laws.

- (7) Upon being satisfied the Board may assure the benefit of confidentiality and shall then mark the status of the application depending upon its priority and convey the same to the applicant in writing.
- (8) The Board may, for reasons to be recorded in writing, reject the application at any stage if the information, documents or evidence is found to be incomplete or false to the knowledge of the applicant.
- (9) The rejection of the application for confidentiality shall be communicated to the applicant.

Procedure.

- 31. (1) The provisions of Chapters IV, V and VIII of these regulations shall be applied *mutatis mutandis* to a settlement application filed under this Chapter and a settlement order passed thereon.
- (2) The information, documents and evidence provided by the applicant under this Chapter shall be submitted in the manner specified by the Board.

Confidentiality and assurance.

- 32. For the purposes of providing the applicant with interim confidentiality and assurance of not being proceeded with, the Board may not initiate regulatory measures when the Board has a reasonable belief that the information provided to it relates to a possible securities law violation that has occurred, is ongoing or about to occur.

Confidentiality.

33. (1) Irrespective of anything contained in Chapter VIII, the following shall be treated as confidential, -
- (i) the identity of the applicant seeking confidentiality; and
 - (ii) the information, documents and evidence furnished by the applicant under this Chapter.
- (2) Irrespective of anything to the contrary contained in sub-regulation (1), the identity of the applicant or such information or documents or evidence may not be treated as confidential if, -
- (i) the disclosure is required by law;
 - (ii) the applicant has agreed to such disclosure in writing; or
 - (iii) there has been a public disclosure by the applicant.

CHAPTER VIII**SETTLEMENT ORDERS****Settlement Order.**

34. (1) On the basis of settlement term approved by the Panel of Whole Time Member, the specified proceeding shall be disposed of by an order passed by the respective authority before whom the specified proceeding is pending.
- (2) The Panel of Whole Time Member shall dispose of the specified proceeding, by passing an order in case of settlement application filed in a *suo motu* matter, in pursuance of a notice issued under regulation 5 or in pursuance of notice issued under regulation 27, in accordance with settlement term as approved by the Panel of Whole Time Member.

- (3) The settlement order passed under these regulations shall, contain the details of the alleged default, relevant provisions of the securities laws, brief facts and circumstances relevant to the alleged default, the admissions made by the applicant, if any and the settlement term.
- (4) The settlement order in matters relating to the confidentiality shall not, directly or indirectly, disclose the identity of the applicant, but shall indicate the provisions of securities laws which the applicant is alleged to have violated.

Procedure for settlement of the proceeding pending before the Tribunal or Supreme Court.

- 35. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions with regard to settlement of specified proceeding shall *mutatis mutandis* apply to an application for settlement of any proceeding pending before the Tribunal or Supreme Court.
- (2) The proposal of settlement along with the settlement term or rejection thereof shall be placed before such Tribunal or Supreme Court for appropriate orders.

Service and publication of settlement order.

- 36. Settlement order shall be served on the applicant and shall also be published on the website of the Board.

Settlement Schemes.

- 37. Irrespective of anything contained in these regulations, the Board shall have the power to bring a settlement scheme specifying the settlement terms for any class of persons involved in respect of any similar specified defaults.

Explanation. - A settlement order passed under a settlement scheme shall be deemed to be a settlement order under these regulations.

Effect of settlement order on third party rights or other proceeding.

38. (1) A settlement order under these regulations shall not be admissible as evidence in any other proceeding relating to an alleged default not covered under the settlement order nor affect the right of third parties arising out of the alleged default.
- (2) Where any applicant who obtains a settlement order is also noticee along with any other person in any civil or administrative proceeding, while disposing proceeding against such other person, the respective authority before whom the specified proceeding is pending, may make necessary observations in respect of the applicant in so far as is necessary to prove the act of another.
- (3) Unless the settlement order is revoked, such observations shall *qua* the applicant be subject to the settlement order obtained by the applicant.
- (4) Where any person has obtained a settlement order, which contains observations in respect of any other person for the commission of an alleged default, such an order shall not in itself be admissible as evidence against such other person.
- (5) Passing of settlement order under regulation 34 in respect of a particular applicant shall not be relied upon by other persons, who are co-noticees with the applicant in the specified proceeding, for seeking exoneration or claiming that the said proceeding have become infructuous *qua* them.

Revocation of the settlement order.

39. (1) If the applicant fails to comply with any term of settlement order or at any time after the settlement order is passed, it comes to the notice of the Board that the applicant has not made full and true disclosure or has violated the undertakings or waivers, settlement order may be revoked and the Board shall restore or initiate the proceeding with respect to which the settlement order was passed.
- (2) Before revocation of any settlement order, the applicant shall be given an opportunity of hearing before the Board.
- (3) Whenever any settlement order is revoked, no amount paid under these regulations shall be refunded.

CHAPTER IX**MISCELLANEOUS****Confidentiality of information.**

40. (1) All information submitted and discussions held in pursuance of the settlement proceeding under these regulations shall be deemed to have been received or made in a fiduciary capacity and the same may not be released to the public, if the same prejudices the Board or the applicant.
- (2) Where an application is rejected or withdrawn, the applicant and the Board shall not rely upon or introduce as evidence before any court or Tribunal, any proposals made or information submitted or representation made by the applicant under these regulations.
- (3) Sub-regulation (2) shall not apply where the settlement order is revoked under these regulations.

Explanation. – When any fact is discovered in consequence of information received from a person in pursuance of an application, so much of such information, whether it amounts to an admission or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.

Power to remove difficulties.

41. In order to remove any difficulty in the interpretation or application or implementation of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue clarifications and specify procedures through circulars or guidelines.

Power to relax.

42. (1) The Panel of Whole Time Member may in furtherance of the objective of these regulations and subject to such conditions as may deem fit, relax the timelines provided for the performance of any act, -
- (i) where the deadline for performance of such act is not more than thirty days old; and
 - (ii) non-adherence to the timelines was due to factors beyond control of the applicant.
- (2) Power to relax timeline contained in sub-regulation (1) shall not apply to extending time limit provided under regulations 4(1) and 5(1).
- (3) The Panel of Whole Time Member may increase settlement amount by one percent where extension of time sought is with respect to payment of settlement amount beyond the time provided in the notice of demand and such extension shall not be exceeding thirty days.

Irregularity in procedure.

43. (1) No settlement order or rejection of a settlement application shall be invalidated on ground of any defect in procedure or determination of the settlement term or on account of any vacancy in or any defect in the constitution of any committee under Chapter V.
- (2) Nothing in these regulations shall prohibit the Board from revoking the settlement order where the applicant fails to pay any difference due to any discrepancy in arriving at the settlement term.
- (3) The applicant shall continue to be bound by the waivers given in respect of limitation or laches in respect of initiating or continuing or restoring of any legal proceeding and the waivers given in sub-paras (d), (e) (f) and (g) of para 12 of the undertaking and waivers as provided in Part-B of the Schedule-I.

Explanation. – For the removal of doubts, it is clarified that the power to seek the difference under this regulation shall include and always be deemed to have included the profits gained or losses avoided out of the violations for which the specified proceedings have been initiated.

Transitional provision.

44. Irrespective of repeal of the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 by regulation 45, settlement applications pending with the Board as on the date of commencement of these regulations shall be dealt as follows, namely:-
- (i) All pending applications wherein Panel of Whole Time Member has approved the settlement term, shall be dealt with as per the terms approved by the Panel of Whole Time Member, under the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.

- (ii) All pending applications wherein High Powered Advisory Committee has made its recommendations but the recommendations are yet to be approved by the Panel of Whole Time Member as on the date of commencement of these regulations, the applicant shall be provided with an option, to be exercised within thirty days from the receipt of notice from the Board, to either seek processing under these regulations afresh or to seek processing of his application with the settlement amount recommended by the High Powered Advisory Committee under the SEBI (Settlement Proceedings) Regulations, 2018.
- (iii) All pending applications wherein High Powered Advisory Committee is yet to make any recommendation shall be dealt with under these regulations by holding the fresh Internal Committee meeting.

Repeal and savings.

45. (1) On and from the commencement of these regulations, the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 shall stand repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal:
- (a) Notice of summary settlement issued under the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 shall be deemed to have been issued in accordance with these regulations and shall be dealt with in accordance with the provisions of these regulations;
 - (b) All settlement orders passed under the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 and the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings)

Regulations, 2018, shall be deemed to have been passed under these regulations;

- (c) The Internal Committee and the High Powered Advisory Committee constituted by the Board in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, shall be deemed to have been constituted under these regulations;
- (d) Any reference to the Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018 under any other regulations shall be deemed to be a reference to these regulations.

SCHEDULE-I*(See regulation 3)***Part-A***[See regulation 3(2)]***FORM****Application for settlement**

(For Office use only)

Date of receipt of the application:

Application Registration Number:

(Instructions: All particulars, including submission regarding details of loss caused to investors, profit made and proposed settlement amount must be filled, else application shall be returned. Put 'NA' only where NOT APPLICABLE.)

Before the Securities and Exchange Board of India

In the matter of

1. Name/Trade name of the applicant/co-applicants:
 - (a) Registration no., if applicable:
 - (b) Date of Registration, if applicable:
 - (c) PAN/DIN/CIN number, as available:
2. If stock broker, name of the stock exchange:
3. If authorised person, name of stock broker with whom affiliated and name of the stock exchange:

4. Form of organization: corporate body/ sole proprietorship / partnership / LLP, etc. (if listed co., details of listing):
5. Address/correspondence address, contact no. and email (any changes in aforesaid details shall be communicated to the Board promptly):
6. Name and contact details (including e-mail) of the contact person (s):
7. Specified Proceeding pending before the Board/AO/Others (pl. specify):
8. Specified Proceeding concluded by the Board/AO/Others (pl. specify):
9. Case(s) pending with Tribunal/any other Forum, where SEBI is a party (Pl. specify):
10. Proceeding pending with any other enforcement agencies, if any:
11. Other actions pending with/concluded by the Board/AO/Others (with their details) against the applicant and other details, if any:
12. Date of Show Cause Notice/summons/communication indicating probable cause of action, if any, against which the settlement is sought (please enclose copies) *:
13. Stage at which specified proceeding is pending including details of hearing opportunity given by the Board or the Adjudicating Officer, if any:
14. Full and true disclosure of facts (including the loss caused, profit made, loss avoided, gross fees, brokerage, commissions, etc., in respect of the cause of action, with manner of calculation thereof):
15. Specific charges alleged:
16. Submissions in respect of regulations 6(1)(iii), 6(2) and 22(5)(d):
17. Terms of settlement proposed by the Applicant: -
 - (a) Settlement Amount along with the basis of calculation in terms of regulation 10 read with Part-C of this Schedule (viz: Base Amount, stage of proceeding, regulatory action factor, gravity factor, aggravating factor and mitigating factor, as applicable)

(b) disgorgement amount of wrongful gains made or loss averted or loss caused to investors, wherever alleged:-

(c) Remedial and Regulatory Term:-

18. Original documents to be enclosed:

(a) Undertakings and waivers (as per Format specified in Part-B).

(b) Authority letter/Board resolution.

19. List of other enclosures:

(a) A copy of the Show Cause Notice/summons/communication/other notices indicating the probable cause of action, if any, against which the settlement is sought;

(b) Copy of PAN card/ DIN/CIN details (in case of a non-resident applicant, include details relating to passport and national identity document, if any);

(c) In case of a foreign body corporate applicant, include details relating to incorporation, place of business, registration details with any non-Indian financial sector regulatory authority.

(d) Any other relevant document (s)/submissions.

(Signature of the applicant)

Verification

I,.....son/daughter/wife of (Name in block letters) Shri/Ms..... being the applicant/authorised representative (in case of body corporate) of do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to my knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts and shall keep the Board informed without delay, of any other relevant information that may come to my notice.

(Signature of the applicant)

Date:

Place:

Part-B**[See regulation 3(2)]****Undertakings and Waivers****Format**

[Undertaking to be submitted by each applicant, along with the self –attested application with stamp duty duly paid]

I/We,, the applicant(s) herein, as a condition for making the enclosed application to the Board for examining and consideration of the application, hereby declare that I/we agree and undertake that:

- (1) I/We admit the jurisdiction and right of the Securities and Exchange Board of India to initiate appropriate proceeding in respect of the alleged default.
- (2) I/We further agree and undertake that the time spent during the settlement proceeding shall be excluded for computing the limitation period or laches, if any, for initiating or continuing or restoring any legal proceeding, if any, against me/us, and waive any objections in this regard.
- (3) The Securities and Exchange Board of India may enforce any claims against me/us arising from or/in relation to any violation of the settlement order passed pursuant to this application.
- (4) Nothing in the settlement order shall preclude any other person from pursuing any other legal remedy to which such person may be entitled against me/us as per law.

- (5) The settlement proposed by me/us does not limit or create any private rights or remedies for any person who is not a party to these proceeding, against me/us.
- (6) The settlement amount including legal costs, if any, shall be paid by me/us to the Board within the period stipulated by the Board.
- (7) The settlement order shall be construed and enforced in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026, as amended from time to time.
- (8) I/We agree that subsequent to the passing of the settlement order, I/We shall not take any action or make or permit to be made any public statement denying, directly or indirectly, any finding of the Board including that recorded in the settlement order or creating impression that the settlement order is without factual basis.
- (9) I/We hereby declare that nothing in the waiver and undertaking given by me/us shall affect my/our (i) testimonial obligations, or (ii) right to take legal or factual positions in defence of litigation or in defense of a claim or in any other legal proceeding in which the Board is not a party.
- (10) I/We for the limited purpose of settlement under these regulations 'admit the findings of fact and conclusions of law' or 'neither admit nor deny the findings of fact and conclusions of law' (strike off whichever is not applicable), and agree to abide by the settlement order as may be passed in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 and guidelines and circulars issued by the Board in that regard.
- (11) I/We waive my/our right of taking any legal proceedings against the Securities and Exchange Board of India concerning any of the issue covered in the settlement order that may be passed.
- (12) I/We further waive the following:

- (a) the findings of fact and conclusions of law;
 - (b) the proceeding before the Board or any officer of the Board;
 - (c) the right to all post-hearing procedures;
 - (d) appeal/review before the Tribunal/courts;
 - (e) any plea relating to such provisions of the regulations or other requirements of law, including conflict of interest, as may be construed to prevent any member or officer of the Securities and Exchange Board of India from participating in the proceeding, including settlement proceeding or assisting or advising the Internal Committee, High Powered Advisory Committee or Panel of Whole Time Member, as to, any order, opinion, finding of fact, or conclusion of law, etc.;
 - (f) any plea of bias or pre-judgment by the Securities and Exchange Board of India, the officers or the High Powered Advisory Committee, based on the consideration of or discussions concerning settlement of all or any part of the internal proceeding; and
 - (g) any plea of limitation or laches for initiating or restoring of the proceeding, if the applicant violates the settlement order.
- (13) I/We undertake as a condition of settlement to not seek, directly or indirectly, any set-off, reimbursement by way of indemnification, insurance coverage or any other form of non-tax reimbursement.

(Signature of the applicant)

Before me.

Part – C**[See regulation 3(2)]**

Settlement Amount = $BA \times (S+R+G+A-M)$		
BA	(Regulation 11)	
S	(Regulation 12)	
R	(Regulation 13)	
G	(Regulation 14)	
A	(Regulation 15)	
M	(Regulation 16)	
	($S+R+G+A-M$)	
SA	$BA \times (S+R+G+A-M)$	
Legal Cost*		
Disgorgement Amount**		
Total Amount		

**Legal cost incurred by the Board in defending the specified proceeding before the Tribunal or any other Forum.*

***Amount of disgorgement along with interest calculated in terms of regulation 20.*

SCHEDULE – II**Part-A***(See regulation 5)***Format****To****Date**

.....

Address**Sub: Notice of settlement in the matter of**

During the course of examination/ investigation/ inspection/ audit/ inquiry, in the matter of, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has prima facie observed that you have violated the following provisions of the securities laws:

S. No.	Default	Provisions of law violated	Penalty provision
1.			
2.			
3.			

Extracts of the findings in brief are enclosed.

2. In view of the aforesaid, proceeding against you under.... (relevant provisions under which the proceeding may be initiated or continued) may be initiated.
3. By the present notice you are being informed that under SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026, you may make an application within sixty days of receipt of this notice seeking settlement of aforesaid proceeding

Your application for settlement shall be considered in accordance with SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 and filing of any application pursuant to this notice does not guarantee settlement of probable proceeding.

4. Irrespective of anything contained in this notice, the Board reserves the right to modify the proceeding and allegations to be brought against you and this notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any action initiated or to be initiated by the Board.
5. If the settlement application is not filed within the aforesaid period of sixty days, the Board may initiate any proceeding against you in accordance with law.

Name, designation and signature

Encl: As above

Part-B*(See regulation 27)***Format**

To,

Date:

.....

Address

Sub: Notice of violation based fast track settlement in the matter of

.....

During the course of examination/ investigation/ inspection/ audit/ inquiry, in the matter of..... the Securities and Exchange Board of India (SEBI) has *prima facie* observed that you have violated the following provisions of the securities laws:

S. No.	Default	Provisions of law violated	Penalty provision
1.			
2.			
3.			

Extracts of the findings, in brief are enclosed.

- In view of the aforesaid, probable proceeding against you under....(*relevant provisions under which the proceeding may be initiated or continued*) may be initiated.

3. Irrespective of anything contained in this notice, the Board reserves the right to modify the proceeding and charges to be brought against you and this notice shall not confer any right to seek settlement or avoid any action initiated or to be initiated by the Board.
4. Subject to regulation 6 of the SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 the aforesaid proceeding to be initiated may be settled upon filing of a settlement application under Chapter-II of the SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 and upon remittance of a settlement amount of Rs..... to SEBI in terms of (provision) of SEBI (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2026 within thirty days from the date of receipt of this notice and upon complying with the following Remedial and Regulatory Term (if applicable):
 - (i)
 - (ii)(please specify any other terms)
5. In case the settlement application is not filed or the settlement amount is not remitted and/or undertaking in respect of Remedial and Regulatory Term is not furnished or Remedial and Regulatory Term is not complied with to the satisfaction of the Board or the settlement application is withdrawn, the specified proceeding may be initiated and you shall be permitted to file a settlement application at the subsequent stage of proceeding.

Name, designation and signature

Encl: As above

SCHEDULE - III*(see Regulation 30)***Application for confidentiality**

1. The application for confidentiality shall be in the format convenient to the applicant and shall inter-alia, include the following, -
 - (i) Name and address of the applicant or its authorized representative as well as of all other known participants involved in the alleged default;
 - (ii) The address of the applicant for communication including the telephone numbers and the e- mail address, etc.;
 - (iii) A detailed description of the alleged arrangement, including its aims and objectives and the details of activities and functions carried out for securing such aims and objectives;
 - (iv) The commencement and duration of the default;
 - (v) The names, positions, office locations and, wherever necessary, home addresses of all persons who, in the knowledge of the applicant, are or have been associated with the alleged defaulters, including those persons who have been involved on behalf of the applicant;
 - (vi) The details of other authorities, forums or courts, if any, that have been approached or are intended to be approached in relation to the alleged violation;
 - (vii) A descriptive list of evidence regarding the nature and content of evidence provided in support of the application for confidentiality; and
 - (viii) Any other material information as may be directed by the Board.

(Signature of the applicant)

(Stamp and Seal of body corporate applicant)

Verification

I,son/daughter/wife of (Name in block letters) Shri/Ms.being the applicant/authorised representative (in case of body corporate) of do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to my knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts and shall keep the Board informed without delay, of any other relevant information that may come to my notice.

(Signature of the applicant)

Date:

Place:

2. The undertaking and waiver as specified in Part-B of Schedule-I shall be annexed to the application for confidentiality.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./372/2026-27]